



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 608]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 20, 2009/आश्विन 28, 1931

No. 608]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 20, 2009/ASVINA 28, 1931

पोत परिवहन मंत्रालय

(पोत स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2009

सा.का.नि. 767(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (i) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (i) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा कंडला पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2009 को इस अधिसूचना के साथ संलग्न यथा अनुसूचित अनुमोदित करती है।

उक्त विनियम सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

अनुसूची

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2009

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) का तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कंडला पोर्ट का न्यासी मंडल एतद्वारा समय-समय पर संशोधित कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 1964 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है।

ये विनियम कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधित विनियम, 2009 कहे जाएंगे।

कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 2009

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंडला पोर्ट का न्यासी मंडल एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- (1) ये विनियम कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 2009 कहलाएंगे।
- (2) ये महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 और 132 के प्रावधानों के अधीन यथापेक्षित केन्द्र सरकार के अनुमोदन से भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. प्रयुक्ति :-

ये विनियम बोर्ड के अधीन अधिनियम की धारा 27 के अधीन सृजित सभी पदों पर लागू होंगे, जिसमें अधिनियम की धारा 24 की उप धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा समाविष्ट पद भी शामिल होंगे।

3. परिभाषा :-

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क). 'अधिनियम' से महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) अभिप्रेत है।
- (ख). 'सदृश पद' से ऐसा पद अभिप्रेत है जिसके कार्य और जिम्मेदारियों की सीमा तथा वेतन क्रम ऐसे पद के तुल्य है जिनका चयन किया गया है।
- (ग). किसी ग्रेड अथवा पद के संबंध में 'नियुक्ति प्राधिकारी' से उस ग्रेड या पद पर नियुक्ति करने के लिए कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1964 के अधीन प्राधिकृत प्राधिकारी अभिप्रेत है।
- (घ). " बोर्ड", 'अध्यक्ष', 'उपाध्यक्ष' और 'विभाग प्रमुख' के क्रमशः वही अर्थ है जो उनके लिए अधिनियम के अधीन नियत किए गए हैं।

- (इ.). 'प्रथम श्रेणी पद', 'द्वितीय श्रेणी पद', 'तृतीय श्रेणी पद' और 'चतुर्थ श्रेणी पद' के वही अर्थ हैं जो उनके लिए कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1964 के विनियम 4 में नियत किए गए हैं।
- (च). "विभागीय प्रोन्नति समिति" से किसी ग्रेड या पद में प्रोन्नति या पुष्टीकरण के लिए सिफारिश करने के प्रयोजन के लिए विनियम 26 के अधीन समय समय पर गठित समिति अभिप्रेत है।
- (छ). "सीधी भर्ती" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो सेवा चयन समिति द्वारा प्रतियोगी परीक्षा अथवा जांच परीक्षा और / अथवा सक्षात्कार के आधार पर भर्ती किया गया है।
- (ज). "कर्मचारी" से बोर्ड का कोई कर्मचारी अभिप्रेत है।
- (झ). "ग्रेड" से अधिनियम की धारा 23 के अधीन निर्मित और संस्वीकृत कर्मचारियों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी ग्रेड अभिप्रेत है।
- (ञ). "धारणाधिकार" से किसी कर्मचारी का या तो तत्काल अथवा अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियों की समाप्ति के बाद उस पद पर नियमित आधार पर रखे जाने से संबंधित अधिकार अभिप्रेत है जिस पद पर वह नियमित आधार पर नियुक्त था और जिस पर वह परिवीक्षाधीन नहीं था।
- परन्तु नियमित पद पर रखा गया अधिकार इस शर्त के अधीन रहेगा कि यदि ऐसे पात्र व्यक्तियों की संख्या, उस ग्रेड में उपलब्ध पदों से अधिक है तो उस पद में कनिष्ठतम व्यक्ति को निचले ग्रेड के पद में पदावनत किया जा सकता है।
- (ट). "स्थायी कर्मचारी" से ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है जो स्थायी पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किया गया है।
- (ठ). "अनुसूची" से इन विनियमों में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।
- (ड). "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" के वही अर्थ हैं जो इन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) तथा (25) में क्रमशः समनुदिष्ट किए गए हैं।
- (ढ). किसी ग्रेड अथवा पद के संबंध में "चयन सूची" से अभिप्राय उस ग्रेड अथवा पद के लिए विनियम 13 के अनुसार तैयार की गई चयन सूची है।

- (ण). "चयन पद" से ऐसा पद अभिप्रेत है जो इन विनियमों के विनियम 5 के अधीन उसी रूप में घोषित किया गया है।
- (त) "सेवा चयन समिति" से सीधी भर्ती के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा, व्यावसायिक परीक्षण और / अथवा साक्षात्कार के द्वारा उम्मीदवारों का चयन करने के लिए विनियम 12 के अधीन गठित की गई समिति अभिप्रेत है।
- (थ) "अस्थायी कर्मचारी से बोर्ड की सेवा में अस्थायी पद अथवा नियमित पद में स्थानापन्न अथवा परीवीक्षाधीन नियुक्ति धारण करने वाले कर्मचारी से है।

4. नियुक्ति की रीति :-

जिन पर ये विनियम लागू होते हैं, ऐसे सभी पदों से संबंधित सभी नियुक्तियाँ, इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी। ये नियुक्तियाँ या तो प्रोन्नति द्वारा अथवा विलयन अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा की जाएंगी। यह प्रतिनियुक्ति, महा पत्तन, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, स्वायत्तशासी निकायों, सरकारी कंपनियों से ऐसे कर्मचारियों द्वारा की जाएंगी जो उस पद से संबंधित विहित पात्रता के मापदंडों को पूरा करते हों। प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि 3 वर्षों की होगी जिसे चार वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। आपवादिक परिस्थितियों में यह पांच वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। परन्तु कि च्वभाग-प्रमुख तथा विभाग-प्रमुख से एक स्तर नीचे के पदों के रूप में माने जानेवाले पदों पर नियुक्ति से संबंधित सभी रिक्तियाँ "भर्ती संबंधी मिरित पद्धति" अर्थात् प्रोन्नति/ स्थानांतरण/ विलयन के आधार पर प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी, ऐसा न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी। प्रोन्नति/ विलयन पर स्थानांतरण महा पत्तन न्यासों के ऐसे अधिकारियों में से किए जाएंगे जो संलग्न विनियम की अनुसूची में निर्धारित पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करते हों।

5. अनुसूचियाँ :-

नियुक्ति की रीति अर्थात् चारों वर सीधी भर्ती द्वारा अथवा विभागीय प्रोन्नति अथवा विलयन अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा हो, प्रथम श्रेणी पदों के संबंध में अर्हताएँ, आयु, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव संबंधी अपेक्षाएँ, चयन पद अथवा अचयन पद के रूप में पदों का वर्गीकरण और विभिन्न पदों की नियुक्तियों के साथ जुड़े अन्य मामले इन विनियमों में संलग्न अनुसूची में दर्शाए जाएंगे। द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों के संबंध में नियुक्ति की रीति वही रहेगी जैसी बोर्ड

द्वारा समय समय पर निर्धारित हो। अनुसूची में विभिन्न ग्रेडों की वह प्राधिकृत स्थायी और अस्थायी संख्या भी दर्शायी जाएगी, जैसी महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 23 के प्रावधानों के अधीन निर्मित कर्मचारियों की अनुसूची में उपदर्शित है। महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 27 के प्रावधान के अधीन यह संख्या समय-समय पर परिवर्तित हो सकती है। प्रोन्नति के मामले में, सीधी भर्ती के लिए विहित पात्रता संबंधी अपेक्षाएं अनुसूची के कॉलम 9 में उल्लिखित सीमा तक लागू होंगी और प्रोन्नति के लिए अनुभव संबंधी अपेक्षाएँ वही होंगी जैसी अनुसूची के कॉलम 12 में निर्धारित है।

परन्तु कि सीधी भर्ती/विलयन/प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित ऊपरी आयुसीमा में, विभागप्रमुखों के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा और अन्य सभी मामलों अध्यक्ष द्वारा कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करते हुए निम्नवत् छूट दी जाएगी :-

- (i) 5 वर्षों तक, जहां निर्धारित न्यूनतम अनुभव 10 वर्षों अथवा अधिक है और तीन वर्षों तक, जहां निर्धारित अनुभव कम से कम 5 से 9 वर्षों का है।
- (ii) ऐसा उम्मीदवार जो भूतपूर्व सैनिक अर्थात् भारत के रक्षाबल का भूतपूर्व कर्मचारी है, और जो रक्षा बलों में 6 महीनों की लगातार सेवा से कम के लिए नहीं रखा गया है, उसके मामले में जब रिक्ति ऐसे भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध में मारे गए सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षित रिक्ति से भरी जानी है तब वहां रक्षा बलों में उसके द्वारा की गई सेवा सहित अतिरिक्त तीन वर्ष तक और जहाँ रिक्ति अनारक्षित रिक्ति से भरी जानी हो तो रक्षा बलों में उसके द्वारा की गई सेवा की सीमा तक ; और
- (iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के मामले में ऐसे आदेशों के अनुसार जैसे केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए जाते हों।

परन्तु और भी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी क्रम पर केन्द्र सरकार को यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित पद भरने के लिए इन समुदाय में से अपेक्षित अनुभव रखनेवाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो केन्द्र सरकार के स्वविवेक पर अनुभव संबंधी आवश्यकता में छूट दी जाएगी।

6. रिक्तियों से संबंधित रोस्टर :-

यह दशनि के लिए कि कोई विशेष रिक्ति सीधी भर्ती द्वारा भरी जाए अथवा प्रोन्नति द्वारा, प्रत्येक ग्रेड के लिए एक रोस्टर रखा जाएगा। तथापि, ऐसी रिक्ति जो सीधी भर्ती के लिए आरक्षित है परंतु सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरी जा सकती है तो वह प्रोन्नति द्वारा भरी जाएगी और अगली रिक्ति सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएगी। इसी प्रकार यह पद्धति प्रोन्नति के लिए आरक्षित ऐसी रिक्ति के मामले में भी अपनाई जा सकती है जो प्रोन्नति पद्धति द्वारा नहीं भरी जा सकती है।

7. आरक्षण :-

- (1) केन्द्र सरकार के अधीन पदों के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेश इन विनियमों में समाविष्ट सभी नियुक्तियों पर जो सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा भरी जानी है, यथोचित परिवर्तन करते हुए लागू होंगे।
- (2) केन्द्र सरकार के अधीन पदों को अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और युद्ध में मारे गए सैनिकों के आश्रितों, खिलाड़ियों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेश इन विनियमों में समाविष्ट सभी नियुक्तियों पर और ऐसी नियुक्तियों पर जो सीधी भर्ती द्वारा भरी जानी है, यथोचित परिवर्तन करते हुए लागू होंगे।

8. सीधी भर्ती के लिए राष्ट्रीयता, चरित्र और शारीरिक योग्यता आदि :-

- (1). किसी ग्रेड या पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि वह -
 - (क). भारत का नागरिक हो: अथवा
 - (ख). नेपाल की प्रजा हो : अथवा
 - (ग) भूटान की प्रजा हो : अथवा
 - (घ). कोई तिब्बती शरणार्थी हो जो स्थायी रूप से भारत में बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में आया, अथवा

(ड.) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका अथवा केन्या के पूर्व अफ्रिकी देश, यूगांडा, तंजानिया का संयुक्त गणराज्य, ज़ानिया, मालावी, जैर तथा इथोपिया और वियतनाम से भारत में आया।

परन्तु कि प्रवर्ग (क) के किसी उम्मीदवार को अपनी राष्ट्रीयता के संबंध में ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा जैसा अध्यक्ष द्वारा समय समय में अपेक्षित हो। परन्तु आगे कि प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ड) से संबंधित उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

परन्तु यह और भी कि कोई ऐसा उम्मीदवार, जिसके मामले में राष्ट्रीयता का साक्ष्य अथवा पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक है, यथा स्थिति, उसके द्वारा सरकार उसके पक्ष में दिए गए आवश्यक प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण के लंबित रहते हुए उसे अनंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों में यह अनंतिम नियुक्ति एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2). जब किसी विशेष प्रकृति के कार्य के लिए नियुक्ति की जानी है और कोई ऐसा उपयुक्त उम्मीदवार प्राप्त करना व्यावहारिक न हो, जो इन विनियमों के अपेक्षाएं पूरी करता हो तो अध्यक्ष केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से उप विनियम (1) की अपेक्षाओं में से किसी में संशोधन कर सकता है अथवा उसे छोड़ सकता है

(3). कोई भी ऐसा व्यक्ति,

(क). जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह का करार किया हो, जिसका जीवन साथी जीवित है,

अथवा

(ख) जिसने अपने जीवन साथी जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह का करार किया हो,

वह किसी ऐसे ग्रेड अथवा पद जिसमें ये विनियम लागू होते हैं किसी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु कि, विभागप्रमुखों के मामले में केन्द्र सरकार तथा अन्य सभी मामलों में अध्यक्ष का यह समाधान हो जाए कि उस व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्षकार को परसन्त लों के अन्तर्गत ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और कि ऐसा करने के लिए अन्य आधार है ते वह किसी व्यक्ति को इस उप विनियम के लागू होने से छूट दे सकता है।

(4). उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान करना होगा कि उसका चरित्र और पूर्ववृत्त ऐसे हैं जो उसे किसी भी ग्रेड अथवा पद के नियुक्ति के लिए उपयुक्त बनाते हैं। कोई भी ऐसी उम्मीदवार जिसे न्यायलय द्वारा नैतिक चरित्र हीनता के अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो अथवा दिवालिया घोषित किया गया हो वह किसी भी ग्रेड अथवा पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा।

(5). उम्मीदवार को मानसिक एवं शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य वाला होना चाहिए तथा ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे बोर्ड के कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में कोई बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो। विभागप्रमुखों के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा तथा अन्य सभी मामलों में अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट की गई डाक्टरी जांच के बाद अगर कोई उम्मीदवार उन अपेक्षाओं को पूरा करने वाला नहीं पाया जाता तो उसे नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(6). यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि वह उम्मीदवार इस विनियम की सभी अथवा कोई अपेक्षा पूरी करता है या नहीं इस संबंध में विभाग प्रमुखों के मामले में केन्द्र सरकार तथा अन्य मामलों में अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

9. विद्यमान कर्मचारियों की सीधी भर्ती संबंधी पात्रता :-

जब सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हेतु अपेक्षित पदों का विज्ञापन किया जाए तब सेवा में पहले से कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिनके पास निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव हों तो वे भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे मामलों में आयु सीमा लागू नहीं होगी।

10. रिक्त स्थानों का विज्ञापन :-

(1). सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी पदों की सूचना स्थानीय रोजगार कार्यालय को दी जाएगी। योग्य तथा पात्र उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में नहीं मिलने के मामले में उन रिक्तियों का विज्ञापन राज्य में प्रकाशित होनेवाले समाचारपत्रों में किया जाएगा। सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के पदों को राष्ट्रीय तथा स्थानीय समाचार पत्रों और/अथवा रोजगार समाचार में विज्ञापित किया जाएगा।

(2). अर्हताएं, अनुभव तथा आयु निश्चित करने की निर्णायक तारीख पद के सूचित / विज्ञापित किए जाने वाले माह का पहला दिन होगा सिवाय जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।

11. कुछ मामलों में लिखित अथवा कौशल्य परीक्षण का आयोजन :-

नियुक्ति प्राधिकारी यह निर्णय ले सकता है कि लिखित अथवा कौशल्य परीक्षण अथवा दोनों ही लिए जाएं और साथ ही वह उक्त परीक्षा लेनेवाला अधिकारी नियुक्त करेगा तथा परीक्षण का प्रकार तथा तत्संबंधी अन्य ब्योरे निश्चित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी के लिए चर्चाध होगा कि वह लिखित अथवा कौशल्य परीक्षण लेने हेतु कोई परामर्शी अथवा परामर्शी फर्म नियुक्त करें।

12. सेवा चयन समिति :-

(1). उप विनियम (2) में यथा उल्लिखित प्रत्येक ग्रेड और पद में के लिए एक सेवा चयन समिति होगी जो सीधी भर्ती द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों चयन करने हेतु योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार लेगी।

(2). उप विनियम (1) में संदर्भित विभिन्न पदों के प्रवर्ग तथा सेवा चयन समिति का गठन निम्नवत् होगा अर्थात् :

(क). विभागप्रमुखों के लिए -

पोत परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पोर्ट्स)	- अध्यक्ष
पोर्ट के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष (पोर्ट के अध्यक्ष की अनुपलब्धता में)	- सदस्य
पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा नामित किया गया किसी अन्य पोर्ट का अध्यक्ष अथवा ऐसा अधिकारी जिसे संबंधित क्षेत्र का गहरा अनुभव हो	- सदस्य
पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा नामित किया गया अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति का प्रतिनिधि	- सदस्य

(ख). प्रथम श्रेणी के पद के लिए -

(i). अध्यक्ष / उपाध्यक्ष	- अध्यक्ष
(ii). उपाध्यक्ष	- सदस्य
(iii). उस विभाग का विभाग प्रमुख जहाँ रिक्ति है	- सदस्य
(iv). कार्मिक मामलों को देखने वाला विभागप्रमुख	- सदस्य
(v). अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ी जाति का प्रतिनिधि	- सदस्य

(ग). द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए -

- (i). उपाध्यक्ष - अध्यक्ष
- (ii). उस विभाग का प्रमुख जहाँ रिक्ति है - सदस्य
- (iii). कार्मिक मामलों को देखनेवाला विभागप्रमुख - सदस्य
- (iv). अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति का
प्रतिनिधि - सदस्य

(घ). तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए (सामान्य प्रवर्ग)

- (i). उपाध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में बोर्ड के अध्यक्ष
द्वारा नामित किया गया विभाग प्रमुख - अध्यक्ष
- (ii). कार्मिक मामलों को देखनेवाला विभागप्रमुख - सदस्य
- (iii). अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया एक ऐसा
वरिष्ठ अधिकारी जिसका ग्रेड रु.16000-400-20800
से कम नहीं हो - सदस्य
- (iv). अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति का प्रतिनिधि - सदस्य

(ङ). तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए (असामान्य प्रवर्ग)

- (i). उस विभाग का प्रमुख जहाँ रिक्ति है - अध्यक्ष
- (ii). कार्मिक मामलों को देखनेवाला विभागप्रमुख - सदस्य
- (iii). अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया संकथित प्रभाग का - सदस्य
एक ऐसा वरिष्ठ अधिकारी जिसका ग्रेड रु.16000-400-
20800 से कम नहीं हो - सदस्य
- (iv). अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ी जाति का प्रतिनिधि - सदस्य

नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को सेवा चयन समिति में सदस्य के रूप में नामित कर सकता है जो सेवा में नहीं है, बशर्ते कि वह व्यक्ति सुसंगत क्षेत्र का विशेषज्ञ हो। ऐसे मामले में जहाँ सेवा चयन समिति का कोई एक सदस्य उपलब्ध न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी उसके स्थान पर समुचित स्तर के एक दूसरे अधिकारी को बैठक में उपस्थित होने हेतु नामित कर सकता है।

(3) जन एक से अधिक विभागों की समान श्रेणियों में रिक्तियों को समरूप चयन द्वारा भरा जाना हो तब उस प्रत्येक मामले में समिति का गठन किए जाने से संबंधित निर्णय अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा।

13. चयन सूची :-

सेवा चयन समिति, सीधी भर्ती हेतु निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के संबंध में विचारार्थ चयन सूची में रखे जाने हेतु उसके द्वारा यथावर्णित चयनित उम्मीदवारों के नामों की उनकी योग्यता के आधार पर सिफारिश प्रस्तुत करेगी। यह सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिए गए अनुमोदन की तारीख से 12 महीने की अवधि हेतु वैध मानी जाएगी। नियुक्ति प्राधिकारी अधिकतम छह माह अथवा तत्संबंधी नयी सूची का अनुमोदन मिलने तक, जो भी पहले हो, सूची की वैधता बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा।

14. सेवा चयन समिति की सिफारिशों पर विचार करना तथा तदर्थ नियुक्तियाँ :-

संबंधित सेवा चयन समिति के सिफारिशों के आधार पर ही नियुक्त प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती संबंधी सभी नियुक्तियाँ की जाएगी।

परन्तु कि नियुक्ति प्राधिकारी के लिए यह निर्बंध होगा कि लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए सेवा चयन समिति की सिफारिशें स्वीकार न करें।

परन्तु आगे कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष का अधीनस्थ प्राधिकारी है और किन्हीं मामलों में प्राधिकारी ऐसी सिफारिशों से असहमत होता है तो वह ऐसी असहमति से संबंधित कारण अभिलिखित करते हुए उस मामले को अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो इस पर निर्णय लेंगे।

परन्तु साथ ही यह भी कि पूर्णतया अस्थायी पद के मामले में, अवकाश चरलक्त अथवा सीधी भर्ती हेतु निर्दिष्ट एक ऐसी रिक्ति जिसे तत्काल भरा जाना अपेक्षित है, अध्यक्ष उस रिक्त पद पर तदर्थ आधार पर एक बार छः माह की ऐसी अवधि के लिए, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी किसी पात्र व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और ऐसा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगा :-

(1) जहां अपरिहार्य हो, तदर्थ नियुक्ति पूर्णतया भर्ती नियमों में उपबंधित अर्हताएं, अनुभव की पूर्ति करने के अधीन रहेगी।

- (2) उस अस्थायी पद पर हुई नियुक्ति की कुल अवधि पदावधि से अधिक नहीं होगी ।
- (3) अन्य मामलों में अस्थायी नियुक्ति को यथासंभव शीघ्र चयन सूची से नियमित नियुक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

15. समर्थन मांगना - एक निरर्हता :-

व्यक्ति द्वारा किसी पद पर नियुक्ति हेतु अथवा उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन मांगने के प्रयत्न किए जाने से वह नियुक्ति अथवा पदोन्नति हेतु निरर्ह हो जाएगा ।

16. तथ्यों को छिपाना - एक निरर्हता :-

यदि यह पाया जाता है कोई उम्मीदवार जानबूझकर ऐसे विवरण प्रस्तुत करता है जो गलत है अथवा चरित्र संबंधी ऐसी तात्त्विक जानकारी छिपाता है सामान्यतः जिसके पता चल जाने पर उक्त ग्रेड अथवा पद पर नियुक्ति पाने से उसे रोक दिया जाता तो वह निरर्ह कर दिए जाने का पात्र होगा और यदि नियुक्त हो गया हो तो सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा ।

17. नियुक्ति आदेश निरस्त किया जाना :-

यदि सीधी भर्ती हेतु चर्चष्ट किसी पद के चले चयनित उम्मीदवार नियुक्ति प्रस्ताव में उल्लिखित तारीख के अन्दर और जहां ऐसी कोई तारीख उल्लिखित नहीं है वहां नियुक्त प्रस्ताव जारी होने की तारीख से 30 दिनों के अन्दर अथवा नियुक्ति प्राधिकारी जितनी अवधि बढ़ाने की सहमति दे उस बढ़ाई गई अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त मान लिया जाएगा ।

18. साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु यात्रा भत्ता का संदाय :-

सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के मामले में उम्मीदवारों द्वारा (बोर्ड की सेवा में पहले से ही कार्यरत व्यक्तियों सहित) लिखित और प्रयोगात्मक परीक्षाओं अथवा साक्षात्कार हेतु की जानेवाली सभी यात्राएँ उनके अपने खर्च पर की जानी है । किन्तु, लिखित अथवा व्यापार परीक्षा

अथवा साक्षात्कार हेतु बुलाए गए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों को आने-जाने की दोनों तरफ की यात्राओं के सबसे छोटे व्यवहार्य मार्ग से प्रथम श्रेणी के रेल किराये के समतुल्य यात्रा भत्ता दिया जाएगा और इसके लिए उसे इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि उसने वस्तुतः अन्तर्गामी यात्रा की है।

19. परिवीक्षा अवधि :-

किसी पद में सीधी भर्ती अथवा पदेन्नति अथवा क्लियन द्वारा नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति उप विनियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के अधीन दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा सिवाय विभाग प्रमुखों और उपर विभाग प्रमुखों के पदों पर भर्ती की मिश्रित पद्धति द्वारा क्लियन के आधार नियुक्त व्यक्तियों के ऐसे मामलों के, जिनका वेतनमान रु. 16000-400-20800 और उससे अधिक है।

परन्तु कि जहाँ नियुक्ति अपने आप नियुक्ति आदेश में एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए है तो सिवाय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी अवधि बढ़ा न दी गई हो, ऐसी नियुक्ति उस अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी।

परन्तु कि, जब सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की गई है और जिस पद का वेतनमान रु. 11,975/- से अधिक नहीं है, उसकी परिवीक्षा अवधि एक वर्ष होगी।

परन्तु कि, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी ग्रेडों के अन्दर पदेन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

परन्तु आगे कि, किसी ग्रेड अथवा पद पर परिवीक्षाधीन कोई कर्मचारी यदि उच्चतर ग्रेड अथवा पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त होता है तो वह उच्चतर ग्रेड अथवा पद पर अपनी नियुक्ति अवधि को अपने निचले ग्रेड अथवा पद की परिवीक्षा अवधि को पूर्ण करने हेतु गिन सकता है। इसी प्रकार, यदि कोई कर्मचारी पहले किसी ग्रेड अथवा पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त है वह उसी ग्रेड अथवा पद पर परिवीक्षाधीन नियुक्त होने पर उस स्थानापन्न अवधि (तदर्थ सेवा को छोड़कर) को ग्रेड अथवा पद पर परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने हेतु गिन सकता है।

(2). यदि नियुक्ति प्राधिकारी उपयुक्त समझे तो परिवीक्षा की अवधि एक बार किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है परन्तु इस तरह बढ़ाई गई कुल अवधि उस मामले को छोड़कर जहाँ ऐसी वृद्धि कर्मचारी के विरुद्ध लंबित किसी विभागीय अथवा विधिक कार्यवाहियों के कारण आवश्यक हो, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3). परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी कर्मचारी से ऐसे विभागीय प्रशिक्षण लेने और ऐसी विभागीय प्रशिक्षण लेने और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकेगी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी इस निमित्त समय-समय पर विहित करे।

20. परिवीक्षाधीन कर्मचारियों की पुष्टिकरण :-

(1). सामान्य -

- (i). किसी कर्मचारी की सेवा में केवल एक बार पुष्टिकरण किया जाएगा और ऐसा प्रविष्टि ग्रेड में होगा।
- (ii) ग्रेड में स्थायी रिक्ति की उपलब्धता से पुष्टिकरण असंबद्ध है। दूसरे शब्दों में जिस अधिकारी ने परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है पुष्टिकरण हेतु उस पर विचार किया जाएगा।

(2). जिस ग्रेड में प्रारंभ में भर्ती की गई हो उसमें पुष्टिकरण -

- (i) यथा संप्रति, नियुक्त कर्मचारी को परिवीक्षावधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करनी होगी।
- (ii) विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष मामला (संपुष्टि हेतु) प्रस्तुत किया जाएगा।
- (iii) हर पहलू से मामला निपट जाने पर पुष्टिकरण संबंधी एक विनिर्दिष्ट आदेश जारी किया जाएगा।

3. पदोन्नति पर -

- (i) यदि भर्ती नियमों में कोई परिवीक्षा विहित नहीं है तो नियमित आधार पर पदोन्नत अधिकारी (विहित विभागीय प्रोन्नति समिति आदि प्रक्रिया का पालन करने के बाद) को वे सभी लाभ-उम्मीदें जो उस ग्रेड में संपुष्टि किए गए व्यक्ति को मिलेंगे।
- (ii). जहाँ परिवीक्षा विहित की गई है, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी, परिवीक्षा संबंधी निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर अधिकारी के कार्य और आचरण का मूल्यांकन करेगा और यह

निर्णय होने पर कि अधिकारी उच्चतर ग्रेड धारित करने हेतु योग्य है तो वह एक ऐसा आदेश पारित करेगा जिसमें यह उद्घोषित किया गया होगा कि संबंधित व्यक्ति ने सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण कर ली है। यदि, अधिकारी का कार्य संतोषप्रद नहीं है अथवा जिस पर कुछ अथक समय तक अवलोकन किया जाना आवश्यक है, यथा लक्ष्य, उसे जिस पद अथवा ग्रेड से पदोन्नत किया गया है उस पर पदावनत कर दिया जाएगा अथवा परिवीक्षावधि बढ़ा दी जाएगी।

चूंकि जब तक ऐसी परिवीक्षावधि संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली गई उद्घोषित नहीं कर दी जाती तब तक पदोन्नति पर कोई पुष्टिकरण नहीं होगा अतः उसके निष्पादन की कड़ाई से निरीक्षण किया जाएगा और परिवीक्षा के दौरान अधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उसे जिस पद अथवा ग्रेड से पदोन्नत किया गया है उस पर पदावनत करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।

परिवीक्षाधीन व्यक्तियों का पुष्टिकरण - किसी स्थायी पद पर परिवीक्षा की निश्चित शर्तों सहित सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को सफलतापूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर लेने की तारीख से उस ग्रेड में संपुष्ट किया जाना है। प्रारंभिक परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद अर्थात् सामान्यतः 6 से 8 सप्ताह के अन्दर एक ऐसा निर्णय तत्काल लिया जाए कि क्या उस व्यक्ति की संपुष्ट की जाए अथवा उसकी परिवीक्षावधि बढ़ा दी जाए और कर्मचारी को, बढ़ाई गई परिवीक्षावधि यदि कोई हो तो, उसकी सूचना उसके कारणों सहित दी जाए। यद्यपि सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की जाएंगी तथापि, परिवीक्षा संबंधी निश्चित शर्तों के अधीन स्थायी पद पर नियुक्त व्यक्ति को उसकी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने की तारीख से उस ग्रेड में संपुष्ट किया जाएगा। एक ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जो संतोषजनक प्रगति नहीं कर रहा है अथवा जिसने स्वयं को सेवा के लिए अयोग्य सिद्ध किया है उसे उसकी मूल परिवीक्षा अवधि समाप्त होने से काफी पहले उसकी कमियों की जानकारी दे दी जाएगी ताकि वह स्वयं में सुधार करने हेतु गंभीरता से प्रयत्न कर सके।

परिवीक्षा के मामले में, विभागीय प्रोन्नति समिति अधिकारियों की तुलनात्मक आपेक्षिक श्रेणीकरण निश्चित नहीं करेगी परंतु केवल यह ज्ञात करेगी कि क्या परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली गई है, घोषित कर दी जाए। यदि किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति का निष्पादन संतोषजनक नहीं है, तो विभागीय प्रोन्नति समिति सलाह देगी कि क्या परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी जाए अथवा उसे सेवा से मुक्त किया जाए।

21. परिवीक्षाधीन कर्मचारियों का निकासा जमा अथवा पदावनत किया जाना :-

- (1). परिवीक्षाधीन कोई कर्मचारी उसकी प्रथम नियुक्ति पर विनियम 19 में विहित परिवीक्षाधीन अवधि की समाप्ति पर संपुष्टि के संबंध में उसके आचरण अथवा निष्पादन के आधार पर योग्य नहीं माना जाता तो उसे बोर्ड की सेवा से निकाल दिया जाएगा।
- (2). परिवीक्षाधीन किसी कर्मचारी को जिसका किसी पद पर धारणाधिकार है परन्तु जो प्राधिकारी का समाधान हो जाने तक विनियम 19 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं करता, उसे जिस पद पर उसका धारणाधिकार है उस पर पदावनत किया जा सकता है।
- (3). यदि कोई कर्मचारी परिवीक्षावधि के दौरान निष्पादन अथवा आचरण अथवा विभागीय परीक्षा, यदि कोई विहित हो तो, उत्तीर्ण होने में असफल हो जाने के आधार पर उस पद पर आगे बनाए रखने के लिए अनुपयुक्त समझा जाता है, यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, किसी भी समय सेवा से हटाया जा सकता है अथवा उस पद पर पदावनत किया जा सकता है जिस पर उसका धारणाधिकार है।

22. कुछ मामलों में पदोन्नति प्रक्रिया संबंधी विभागीय परीक्षा :-

अध्यक्ष समय समय पर पदों पर संपुष्टिकरण अथवा पदोन्नति विनिर्दिष्ट करेंगे जो अर्ह विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो उत्तीर्ण करने के अधीन रहेंगी। अध्यक्ष समय समय पर अर्ह विभागीय परीक्षा संबंधी ब्यौरे, यथा परीक्षा आयोजित किए जाने संबंधी प्रक्रिया, परीक्षा का पाठ्यक्रम, परीक्षा आयोजित किए जाने के अन्तर्गत, उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने की अधिकतम अवधि आदि भी विनिर्दिष्ट करेंगे।

23. विभागीय परीक्षा में असफलता के कारण पदावनति :-

किसी पद पर पदोन्नत कर्मचारी को ऐसी विभागीय परीक्षा, जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट की गई हो, उनके द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर उत्तीर्ण करनी होगी और ऐसा न होने पर वह कर्मचारी पदावनत हो जाएगा। उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु परीक्षा उत्तीर्ण करना पूर्ववर्ती शर्त के रूप में विनिर्दिष्ट है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी कर्मचारी जब तक विहित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता तब तक उसे ऐसे पद पर पदोन्नत किए जाने हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

24. वरिष्ठता सूची :-

प्रत्येक ग्रेड के कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता प्रकट करने वाले अद्यतन पदक्रम सूची रखी जाएगी। इस सूची में प्रत्येक ग्रेड में स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों को अलग-अलग दर्शाया जाएगा। यह सूची प्रति वर्ष परिचालित की जाएगी।

25. वरिष्ठता का नियतन :-

(1). किसी ग्रेड पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों और विभागीय पदोन्नति के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता के बीच पारस्परिक वरिष्ठता सीधे भर्ती होनेवाले व्यक्ति और पदोन्नत व्यक्तियों की रिक्तियों के क्रम अनुसार नियत की जाएगी जो अनुसूची में यथा उपदर्शित सीधी भर्ती और पदोन्नति हेतु उस ग्रेड के लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटा पर आधारित होगा। विनियम 6 के अनुसार रिक्तियों के विनियम किये गये मामलों में उस रिक्ति को भरे जाने की रीति के अनुसार वरिष्ठता रहेगी।

(2) सीधे भर्ती हुए व्यक्ति पारस्परिक गुणावगुण के उस क्रम में रखे जायेंगे जिसमें वे उस परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनों में उनके निष्पादन के आधार पर चयन सूची में रखे गए हैं तथा पहले की चयन सूची के नियुक्त व्यक्ति को बाद वाली चयन सूची के नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ रखा जाएगा।

(3) रिक्तियों की पदोन्नति कोटा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति परस्पर उस क्रम के अनुसार रखे जायेंगे जिसमें वे विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति हेतु अनुमोदित किए गए हैं।

(4) उपरोक्त उप विनियम (1) से (3) में निहित किसी बात के होते हुए भी इन विनियमों के प्रारंभ होने से पूर्व पहले से ही निर्धारित वरिष्ठता अप्रभावित रहेगी।

26. विभागीय प्रोन्नति समिति :-

(1) प्रत्येक ग्रेड अथवा पद के लिए एक विभागीय प्रोन्नति समिति होगी जो इन विनियमों के अनुसार विभिन्न पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु कर्मचारियों की सूची की सिफारिश करेगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना वही रहेगी जो विनियम 12 में यथानिर्धारित सेवा चयन समिति की है और उस सूची की मान्यता वही रहेगी जो विनियम 13 में यथाउल्लिखित है।

27. पदोन्नति हेतु चयन क्षेत्र :-

(1) जब निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार संभरक ग्रेड में पदों पर नियुक्त कर्मचारियों में से चयन पद्धति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ग्रेड का एक अथवा अधिक पद भरा जाना अपेक्षित है तो पात्र पदों पर नियुक्त ऐसे कर्मचारी जिनके पास पदोन्नति से संबंधित विहित अर्हताएँ तथा अनुभव हैं और यदि वे विचार किए जाने के परिक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं तो उन पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा।

(2) चयन पद्धति के माध्यम से पदोन्नति हेतु कर्मचारी की संस्तुति करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाए :-

(क) विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) विहित निर्देश चिह्न के संदर्भ में पदोन्नति हेतु मूल्यांकित किए जानेवाले व्यक्तियों के गुणागुण निर्धारित करेगी और तदनुसार अधिकारियों को "उपयुक्त" अथवा "अनुपयुक्त" के रूप में क्रमबद्ध करेगी। जिन व्यक्तियों को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा "उपयुक्त" क्रमबद्ध किया गया है केवल उन्हें ही संभरक पद में परस्पर वरिष्ठता के आधार पर चयनसूची में समाविष्ट तथा क्रमबद्ध किया जाएगा। जिन अधिकारियों को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा "अनुपयुक्त" के रूप में क्रमबद्ध किया गया है, उन्हें चयनसूची में समाविष्ट नहीं किया जाएगा।

(ख). विभागीय प्रोन्नति समिति उन पात्र कर्मचारियों पर भी विचार करेगी जो अन्यत्र सेवा अथवा अध्ययन अवकाश में है।

(ग). सरकारी कर्मचारियों के संबंध में विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियों में पालन किए जाने हेतु प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेश यथोचित परिवर्तन करते हुए लागू होंगे।

टिप्पणी :- ऐसा पद जिसका वेतनमान रु. 16000-400-20800 तथा उससे अधिक है, और जिसके लिए भर्ती की मिश्रित पद्धति अपनाई जाती है उस पर विलयन हेतु सकल श्रेणीकरण का निर्देश चिह्न "बहुत अच्छा" रहेगा। अन्य सभी मामलों में निर्देश चिह्न "अच्छा" रहेगा।

(3). ऐसे अचयन पदों पर पदोन्नति हेतु जिनमें कोई निर्देश चिह्न विनिर्दिष्ट नहीं है, चयन का मापदंड वरिष्ठता सह योग्यता होगा।

28. तदर्थ नियुक्ति :-

जब विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संस्तुत सूची समाप्त हो जाने के बाद तत्काल आवश्यकता होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी संभरक ग्रेड अथवा पद के वरिष्ठतम पात्र तथा योग्य कर्मचारी की ऐसी नियुक्ति करते हुए जो एक बार छः माह की अवधि तक और वह एक वर्ष से अधिक न हो अथवा जब तक विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा नई सूची संस्तुत न की जाए, जो भी पहले हो, पूर्णतया तदर्थ नियुक्ति कर सकता है। यह तदर्थ नियुक्ति जहां कहीं अपरिहार्य हो तो वह पूर्णतया भर्ती नियमों में उपबंधित अर्हताओं, अनुभव से युक्त होने के अधीन रहते हुए ही की जाएगी।

29. अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां :-

इन विनियमों में वर्णित किसी भी उपबंध के होते हुए भी अध्यक्ष इन विनियमों में निर्धारित भर्ती संबंधी सामान्य प्रक्रिया अभिमुख्य कर सकते हैं तथा बोर्ड का ऐसा कर्मचारी जिसकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गई है उसके वैध सुपुत्र अथवा सुपुत्री या उसके जीवित पति/पत्नी को श्रेणी-III या श्रेणी-IV पद पर नियुक्ति दे सकते हैं बशर्ते कि इस प्रकार नियुक्त होनेवाले व्यक्ति के पास निर्धारित योग्यता तथा अनुभव हो और अन्यथा उसे उपयुक्त पाया गया हो।

30. निर्वचन :-

इन विनियमों की प्रयुक्ति में समय-समय पर केंद्र सरकार के यथा संशोधित सभी अनुदेशों, जो इन विनियमों के किसी प्रावधानों के प्रतिकूल न हो, तथा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी ऐसे मामलों से संबंधित अनुदेश, जिन्हें विशेष रूप से व्याख्यायित न किया गया हो, का पालन किया जाएगा।

इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन के बाबत संदेह उत्पन्न हो तो वह मामला अध्यक्ष के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

31. निरसन तथा व्यावृत्तियां

इन विनियमों के तत्समान सभी विनियमों, प्रक्रियाओं, पद्धतियों तथा प्रथाओं और इन विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व लागू समस्त विनियम एतद्द्वारा निरसित हो जाएंगे।

परंतु कि इस प्रकार निरसित विनियमों, प्रक्रियाओं, पद्धतियों तथा प्रथाओं के अधीन जारी कोई आदेश अथवा की गई कार्रवाई इन विनियमों के तत्समान उपबंधों के अधीन जारी आदेश अथवा की गई कार्रवाई के रूप में माना जाएगा।

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आय सीमा (रु. में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से संबंधित (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अन्यविवरण	
1	सचिव	1	प्रथम श्रेणी (विभाग प्रमुख)	रु. 20500 -500 - 26500	चयन	45 वर्ष (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से डिग्री (ii) किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन, कर्मिक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में प्रशासक संवर्ग में 17 वर्षों का अनुभव. वांछनीय किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री / कर्मिक प्रबंध / औद्योगिक संबंध / सामाजिक कार्य/क्रम कल्याण अथवा सहबद्ध विषयों में डिप्लोमा अथवा विधि में डिग्री.		(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं	मिश्रित पद्धति के माध्यम से विलयन द्वारा ऐसा न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा इन दोनों के न हो पाने ने पर सीधी भर्ती द्वारा.	मिश्रित पद्धति के माध्यम से विलयन हेतु किसी महा पदान्तर के सामान्य प्रशासन विभाग/मानव संसाधन विकास विभाग में सदृश पद धारण करनेवाले अधिकारी अथवा प्रवर्ग-II वाले पदों में सचिव का पद धारण करने वाले अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्षों की नियमित सेवा की है अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने रु. 17500-22300 के वेतनमान में उस श्रेणी में 4 वर्षों की नियमित सेवा की है अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में रु. 16000-20800 के वेतनमान में 5 वर्षों की नियमित सेवा की है, इसके पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति के मामले में सरकारी / अर्धसरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी, जिन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग / मानव संसाधन विकास विभाग में सचिव तथा समकक्ष पद पर रु. 18500-23900 के वेतनमान में उस श्रेणी में 2 वर्षों की नियमित सेवा की है अथवा रु. 16000-20800 तथा उससे अधिकतम वेतनमान में स्तरित उप सचिव तथा समकक्ष पद धारण कर रहेवाले अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा की है, इसके पात्र होंगे। यह चयन योग्यता के आधार पर है जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का समस्त क्रम निर्धारण संबंधी निर्देश चिह्न "बहुत अच्छा" से कम नहीं होगा।	12	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रतिनिधित्व की स्थिति में समूहों।	परीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/ विलयन /प्रतिनिधित्व द्वारा होगी)	प्रोन्नति/ विलयन / प्रतिनिधित्व द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-अभिप्राय दिवसे ऐसा किया जाना है।	अनुमति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	वरिष्ठ उप सचिव	1	प्रथम श्रेणी	रु. 16000 -400 - 20800	चयन	42	<u>अनिवार्य:</u> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से डिग्री (ii) किसी औद्योगिक /वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन, वित्तिक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में प्रशासक संवर्ग में 12 वर्षों का अनुभव. <u>वाछनीय</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री/वित्तिक प्रबंध/औद्योगिक संबंध/सामाजिक कार्य/ग्राम कल्याण अथवा संबंधित विषयों में डिप्लोमा अथवा विधि में डिग्री.	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	समूह नहीं	निश्चित पद्धति के माध्यम से विलयन द्वारा ऐसा न हो पाने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनिधित्व द्वारा इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा.	निश्चित पद्धति द्वारा विलयन, किसी महा पसन न्याय के माध्यम से प्रशासन विभाग की संघीयता शाखा (अर्थात् मुख्य जन सेवा अधिकारी/उप संपद प्रबंधक / उप मुख्याधिकारी अधिकारी /वित्तिक अधिकारी) में सपरा पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा रु. 13000-18250 के वेतनमान में उप अधिवक्ता तथा समकक्ष पद धारण करनेवाले ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्षों की नियुक्ति सेवा की है अथवा किसी महापसन के सामान्य प्रशासन विभाग की संघीयता शाखा में उप अधिवक्ता तथा समकक्ष पद धारण करनेवाले ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्षों की नियुक्ति सेवा की है तथा सामान्य प्रशासन विभाग की संघीयता शाखा में रु. 13000-16750-16750 तथा 13000-18250 के वेतनमान में 7 वर्षों की संयुक्त सेवा की है, इसके पत्र होंगे। प्रतिनिधित्व के मामले में सरकारी /अर्ध सरकारी / सार्वजनिक उपक्रम/अथवा स्वायत्त निगमों में सपरा धारण करने वाले अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग की संघीयता शाखा में उप अधिवक्ता तथा समकक्ष पद पर रु. 13000-18250 के वेतनमान में उस श्रेणी में 3 वर्षों की नियुक्ति सेवा की है, इसके पत्र होंगे। यह चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए समस्त ग्राम निर्धारण संबंधी निर्देश - कि "चुनत अच्छा" से काम नहीं लेंगे।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवयन पद	सीबी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीबी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	सीबी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	क्या सीबी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीबी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/ विलयन प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तिता
1	उप सचिव	1	प्रथम श्रेणी	रु. 13000 - 350 - 18250	चयन	40	अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से डिग्री (ii) किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में प्रशासक संवर्ग में 9 वर्षों का अनुभव. वांछनीय किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री/कार्मिक प्रबंध/औद्योगिक संबंध/सामाजिक कार्य/श्रम कल्याण अथवा संबंधित विषयों में डिप्लोमा अथवा विधि में डिग्री.	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न हो पाने पर सीबी भर्ती द्वारा।	10	11	12	13
3	उप सचिव	1	प्रथम श्रेणी	रु. 13000 - 350 - 18250	चयन	40	अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से डिग्री (ii) किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में प्रशासक संवर्ग में 9 वर्षों का अनुभव. वांछनीय किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री/कार्मिक प्रबंध/औद्योगिक संबंध/सामाजिक कार्य/श्रम कल्याण अथवा संबंधित विषयों में डिप्लोमा अथवा विधि में डिग्री.	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न हो पाने पर सीबी भर्ती द्वारा।	10	11	12	13

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अपचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं (क) आयु (ख) शैक्षणिक (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद श्रेणियाँ किनसे ऐसा किया जाना है।	अधुनिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	उप संपद प्रबंधक	1	प्रथम श्रेणी	रु. 13000 - 350 - 18250	चयन	40	अनिवार्य: i. किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय / संस्थान से अनुस्नातक डिग्री के साथ भवन निर्माण कला, नगर तथा शहर आयोजन में डिग्री / डिप्लोमा अथवा सिविल अभियंता की डिग्री अथवा सर्वेक्षण संस्थान (भारत) की कोर्पोरेट सदस्यता। ii. किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में संपद प्रबंधन, मूल्यंकन या भूमि अभिलेखों में कार्यपालक प्रवर्ग में। वर्ष का अनुभव हो। वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से विधि में डिग्री	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	संपद प्रभाग से संबंधित शाखा के ऐसे वरिष्ठ सहायक संपद प्रबंधक की, जिसने रु. 10750-16750 के वेतनमान में उस श्रेणी में 4 वर्षों की लगातार सेवा की है, प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर ऐसे वरिष्ठ सहायक संपद प्रबंधक जिन्होंने रु. 10750-16750 के वेतनमान में उस श्रेणी में 2 वर्षों की सेवा की है और रु. 10750-16750 तथा रु. 9100-15100 वेतनमान में उस श्रेणी में 9 वर्षों की संयुक्त सेवा की हो, की प्रोन्नति द्वारा। महापतन न्यास में संपद प्रभाग से संबंधित शाखा के सदृश पद धारण करने वाले अधिकारियों अथवा वरिष्ठ संपद प्रबंधक अथवा समतुल्य पद, जिन्होंने रु. 10750-16750 के वेतनमान में उस श्रेणी में 4 वर्षों की सेवा की हो, से विलयन / प्रतिनियुक्ति हो सकती है।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवचयन पद	सीबी प्रती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीबी प्रती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	सीबी प्रती के लिए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोत्पत्ति/विलयन /प्रति-निवृत्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	प्रती को प्रतीत (इस सीबी प्रती के अन्तर्गत अथवा प्रोत्पत्ति/विलयन /प्रति-निवृत्ति द्वारा होंगी)	प्रोत्पत्ति / विलयन / प्रति-निवृत्ति द्वारा प्रती को स्थिति में वे पद-अधिकारी जिन्होंने सेवा किया जाना है।	अभ्युक्तिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	कार्मिक अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	रु. 13000 - 350 - 18250	चयन	40	अनिवार्य: (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से डिग्री (ii) किसी औद्योगिक /वाणिज्य / सरकारी उपक्रम में साधारण प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में प्रशासनिक सेवार्थ में 9 वर्षों का अनुभव. संश्लेषण किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से कार्मिक प्रबंध/औद्योगिक संबंध/सामाजिक कार्य/ग्राम कल्याण अथवा सड़क विधियों में स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा अथवा विधि में डिग्री.	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	प्रोत्पत्ति द्वारा, देखा न हो जाने पर विलयन / प्रति-निवृत्ति द्वारा, इन दोनों के न हो जाने पर सीबी प्रती द्वारा।	पद तथा आई आर प्रभाग से संबंधित शाखा के ऐसे उप कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ ग्राम अधिकारी जिन्होंने रु. 10750-16750 के वेतनमान में उस श्रेणी में 4 वर्षों की सेवा की होने पर प्रोत्पत्ति और सेवा न हो जाने पर ऐसे उप कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ ग्राम अधिकारी की जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्षों की सेवा की हो रु. 10750-16750 तथा रु. 9100-15100 के वेतनमान में 9 वर्षों की संयुक्त सेवा की हो, प्रोत्पत्ति होंगी। यदि पदान्तरण में पद तथा आई आर प्रभाग से संबंधित शाखा में उप कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ ग्राम अधिकारी के सदृश पद धारण करने वाले अधिकारियों अथवा समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों, जिन्होंने रु. 10750-16750 के वेतनमान में उस श्रेणी में 4 वर्षों की सेवा की हो, से विलयन / प्रति-निवृत्ति हो सकती है।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवयन पद	संशुद्धि भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	संशुद्धि भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	नया संशुद्धि भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रति-निवृत्ति से स्थिति में लगू होंगे।	परीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (नया संशुद्धि भर्ती होंगे अथवा प्रोन्नति / विलयन /प्रतिनिवृत्ति द्वारा होंगे)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनिवृत्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-अभियंता विनसे ऐसा किया जाना है।	अनुसूचित	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	अध्यक्ष के वरिष्ठ निजी सचिव	1	प्रथम श्रेणी	रु.13000 -350 - 18250	चयन	40	अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से डिग्री (ii) आयुस्तिपि एवं टंकमास्य में कमरा :120/40 शब्द प्रतिमिनिट की गति से संख्या iii. कम्प्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान iv. किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में आयुस्तिपिक/निजी संसकक के रूप में 12 वर्ष का अनुभव	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पने पर विलयन / प्रतिनिवृत्ति द्वारा, इन दोनों के न हो पने पर संशुद्धि भर्ती द्वारा।	रु.10750--16750 के वेतनमान में अध्यक्ष के निजी सचिव के पद पर उस श्रेणी में 4 वर्षों की सेवा होने पर प्रोन्नति इसके न हो पने पर अध्यक्ष के निजी सचिव के रूप में रु. 10750--16750 के वेतनमान में 2 वर्ष की सेवा तथा रु.10750 -16750 और रु.9100-15100 के वेतनमान में 9 वर्ष की संकुलता सेवा की हो, के द्वारा प्रोन्नति। निजी महा पसन न्कास के सपरा पद कायप करने वाले अधिकारी को अथवा ऐसे अधिकारी को निजी सचिव/वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर उस श्रेणी में रु.10750-16750 के वेतनमान में 4 वर्ष की निवृत्तिता सेवा की है, में से प्रतिनिवृत्ति/विलयन के समती है।		

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिबीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ किनसे ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तिताओं	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	वरिष्ठ सहायक सचिव	1	प्रथम श्रेणी	रु.10750 -300 - 15750	चयन	35	<u>अनिवार्य:</u> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से डिग्री (ii) किसी औद्योगिक / वाणिज्य / सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में प्रशासक संवर्ग में 5 वर्षों का अनुभव. वांछनीय किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय / संस्थान से कार्मिक प्रबंध / औद्योगिक संबंध / सामाजिक कार्य /श्रम कल्याण अथवा सहबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री /डिप्लोमा अथवा विधि में डिग्री.	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	सामान्य प्रशासन विभाग की संबंधित शाखा में ऐसे सचिव ग्रेड-1 से प्रोन्नति जिन्होंने उस श्रेणी में रु.9100-15000 के वेतनमान में 5 वर्षों की सेवा की है और ऐसा न हो पाने पर ऐसे सहायक सचिव ग्रेड-1 जिन्होंने उस श्रेणी में रु.9100-15100 के वेतनमान में 2 वर्षों की सेवा की हो और रु.9100-15100 तथा रु. 8600-14600 के वेतनमान में 8 वर्षों की संयुक्त सेवा की हो, से प्रोन्नति द्वारा। महा पत्तन न्यास में संदर्श पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा सहायक सचिव (ग्रेड-1) के पद धारण करने वाले अधिकारी जिन्होंने रु. 9100 -15100 के वेतनमान में उस श्रेणी में 5 वर्षों की सेवा की हो, से विलयन / प्रतिनियुक्ति हो सकती है।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन / प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिबीणा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/ विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/ विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ किन्से ऐसा किया जाना है।	आयुवर्ग	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	वरिष्ठ सहायक संपदा प्रबंधक	1	प्रथम श्रेणी	रु.10750 -300 - 16750	चयन	35	अतिरिक्त: i. किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय / संस्थान से अनुस्नातक डिग्री के साथ भवन निर्माण कला नगर तथा शहर आयोजन में डिग्री / डिप्लोमा अथवा सिविल अभियंत्रिकी में डिग्री अथवा सर्वेक्षण संस्थान (भारत) की कोर्पोरेट सदस्यता ii. किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में संपदा प्रबंधन, मूल्यंकन या भूमि अभिलेखों में कार्यपालक प्रवर्ग में 7 वर्ष का अनुभव <u>सांख्यिक</u> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से विधि में डिग्री	(क) नहीं (ख) नहीं (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	संपदा प्रभाग से संबंधित शाखा के ऐसे सहायक संपदा प्रबंधक ग्रेड-1 /सहायक संपदा प्रबंधक की, जिसने रु.9100-15100 के वेतनमान में उस श्रेणी में 5 वर्षों की सेवा की है, प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर ऐसे सहायक संपदा प्रबंधक ग्रेड-1 जिसने रु.9100-15100 के वेतनमान में उस श्रेणी में 2 वर्षों की सेवा की है और रु.9100-15100 तथा रु.8600-14600 के वेतनमान में उस श्रेणी में 8 वर्षों की संयुक्त सेवा की हो, की प्रोन्नति द्वारा। किसी महा पत्तन न्यास में संपदा प्रभाग से संबंधित शाखा के सहायक संपदा प्रबंधक, ग्रेड-1 के सदस्य पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारी, जिसने रु.9100-15100 के वेतनमान में उस श्रेणी में 5 वर्षों की सेवा की हो, से विलयन / प्रतिनियुक्ति हो सकती है।		

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	परीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की प्रणालि (क) सीधी भर्ती होगी अथवा (ख) प्रोन्नति/ विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	12	13
10	अध्यक्ष के निजी सचिव	1	प्रथम श्रेणी	रु. 10750 -300 - 16750	चयन	35	अनिवार्य: (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक डिग्री (2) आशुलिपि एवं टंकणकला में क्रमशः 120/40 शब्द प्रति मिनट की गति से स्वतंत्रता. (3) कम्प्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान. (4) किसी औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में आशुलिपिक/निजी सहायक के रूप में 8 वर्ष का अनुभव.	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	उपाध्यक्ष के निजी सचिव, जिन्होंने रु. 9100-15100 के वेतनमान में से 5 वर्षों सेवा की है, की प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर उपाध्यक्ष के ऐसे निजी सचिव, जिन्होंने रु. 9100-15100 के वेतनमान में 2 वर्षों की सेवा की है और रु. 9100-15100 तथा रु. 8600-14600 के वेतनमानों में 8 वर्षों की संयुक्त सेवा की है, की प्रोन्नति द्वारा। महसूस करने वाले ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्षों की सेवा की है, के विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	सहायक सचिव ग्रेड-1	1	प्रथम श्रेणी	रु. 9100 -250 - +5100	चयन	30	अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से डिग्री वांछनीय (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कार्मिक प्रबंध/औद्योगिक संबंध / सामाजिक कार्य / ग्राम कल्याण अथवा सख्त विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा अथवा विधि में डिग्री। (2) किसी औद्योगिक /वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में कार्यपालक स्तर में 2 वर्षों का अनुभव।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	31 दिसं. 06 तक सीधी भर्ती द्वारा 33. 1/3% प्रोन्नति द्वारा 66. 2/3% 31 दिसं. 06 के पश्चात सीधी भर्ती द्वारा 66. 2/3% प्रोन्नति द्वारा 33. 1/3%	सामान्य प्रशासन विभाग की संबंधित शाखा के ऐसे कार्यलय अधिकृत, जिन्होंने उस श्रेणी में रु. 6170-11975 के वेतनमान में 5 वर्षों की सेवा की है, की प्रोन्नति द्वारा।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/ विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अव्युक्तिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	विधि अधिकारी ग्रेड-1	1	प्रथम श्रेणी	रु. 9100 - 250 - 15100	चयन	40	अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से विधि में डिग्री हो चाँछनीय: 1. कम-से-कम लगातार 7 वर्षों तक प्रैक्टिस कर्ता अधिकता रहा हो अथवा (i) विधि में स्नातक हो तथा अधिकता के रूप में नामित हो ने का पात्र रहा हो। (ii) किसी सरकारी /सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्त शासी निकाय के विधि प्रभाग में कम-से-कम तीन वर्षों तक कार्य किया हो।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	31. दिसं. 06 तक सीधी भर्ती द्वारा 33. 1/3% प्रोन्नति द्वारा 66. 2/3% 31. दिसं. 06 के पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा 66. 2/3% प्रोन्नति द्वारा 33. 1/3%	ऐसे विधि सहायक, जिन्होंने उस श्रेणी में रु. 6170-11975 के वेतनमान में 5 वर्षों की सेवा की है, की प्रोन्नति द्वारा।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अनुवर्तियों
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	सहायक संपन्न प्रबंधक ग्रेड-I	1	प्रथम श्रेणी	रु.9100-250-15100	चयन	30	अनिवार्यः किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से डिग्री के साथ-साथ कस्तूरबाई नगर तथा देशीय योजना में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा अथवा विविध अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा सर्वोच्च संस्थान (भारत) में नैगम सदस्यता। <u>वांछनीय</u> (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री। (2) किसी औद्योगिक/वाणिज्य/सारकारी उपक्रम में संपन्न प्रबंधन/सूचना अथवा भूमि अभिलेखों के क्षेत्र में कार्यपालक की हैसियत से 2 वर्षों का अनुभव।	(क) नहीं (ख) नहीं, किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से डिप्लोमा आवश्यक है। (ग) नहीं	2	31 दिसंबर 2008 तक सीधी भर्ती द्वारा - 33.1/3% प्रोन्नति द्वारा - 66.2/3% 31 दिसंबर 2008 के बाद सीधी भर्ती द्वारा - 66.2/3% प्रोन्नति द्वारा - 33.1/3%	ऐसे सहायक संपन्न प्रबंधक ग्रेड-II जिन्होंने उस श्रेणी में रु. 8600-14600 के वेतनमान में 3 वर्षों की सेवा की है, की प्रोन्नति द्वारा	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रतिनिधित्व की स्थिति में लागू होंगे।	परिीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन /प्रतिनिधित्व द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनिधित्व द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अप्युक्तियों
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	हिन्दी अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	9100-250-15600	चयन	40	अतिवार्य : (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी विषय सहित हिन्दी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में हिन्दी सहित अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी विषय सहित अन्य किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिन्दी माध्यम से अन्य किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री। (ख) अनुभव : हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली कार्य का पांच वर्षों का अनुभव और अथवा अंग्रेजी से हिन्दी अथवा प्रतिलोमतः अनुवाद कार्य खासकर तकनीकी अथवा वैज्ञानिक अनुवाद कार्य को वरीयता दी जाएगी अथवा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना, हिन्दी में अनुसंधान, पत्रकारिता का पांच वर्षों का अनुभव। (ग) बाह्यीय : हिन्दी कक्षाएँ अथवा टिप्पण तथा आलेखन की कार्यशालाएँ आयोजित करने अथवा हिन्दी में पत्रकारिता का अनुभव।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं		31/12/2006 तक सीधी भर्ती द्वारा - 33.1/3% प्रोन्नति द्वारा - 66.2/3% 31/12/2006 के बाद सीधी भर्ती द्वारा - 66.2/3% प्रोन्नति द्वारा - 33.1/3%	रेसे वरिष्ठ हिन्दी अनुवाक, जिन्होंने रु. 6170-11975 के वेतनमान में पाँच वर्षों की सेवा की है, की प्रोन्नति द्वारा।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन/प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियों जिनसे ऐसा किया जाना है।	अप्युक्तियों
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	व्यापार संचालन तथा जन संपर्क अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	रु. 9100 - 250 - 15100	प्रश्न से नहीं होता	35	अनिवार्य : (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो और पत्रकारिता/जन संपर्क/विज्ञापन/जन संपर्क संचार में मान्यता प्राप्त डिग्री अथवा डिप्लोमा हो। (ख) अंग्रेजी, गुजराती और हिन्दी का अच्छा ज्ञान हो तथा प्रचार सामग्री के लिए इन भाषाओं में प्रेस टिप्पणियाँ/स्क्रिप्ट लिख सकता हो। वांछनीय : (1) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से व्यापार प्रशासन/ जनप्रशासन में स्नातकोत्तर योग्यता (ii) वाणिज्यिक कला में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा। अनुभव : अनिवार्य : जन संपर्क और/अथवा पत्रकारिता अथवा व्यापार तथा उद्योग से संबंधित कार्य का कम-से-कम तीन वर्षों तक कार्य का अनुभव हो। वांछनीय : पोर्ट तथा रेलवे की कार्य प्रणाली से परिचित हो।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	दो	31.12.2006 तक सीधी भर्ती द्वारा - 33.1/3% प्रोन्नति द्वारा - 66.2/3 % 31.12.2006 के बाद सीधी भर्ती द्वारा - 66.2/3% प्रोन्नति द्वारा - 33.1/3 %	ऐसे जन संपर्क सहायक, जिन्हें उस श्रेणी में रु. 6170-11975 के वेतनमान में पंच वर्षों का अनुभव हो, की प्रोन्नति द्वारा।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन या अपचयन पद	सौचीय भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकांश आयु सीमा (वर्षों में)	सौचीय भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्दिष्ट शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	सौचीय भर्ती वाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु सीमा (ख) अर्हताएँ (ग) अनुभव (घ) प्रोन्नति/विलयन /प्रतिनिधित्व नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सौचीय भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनिधित्व द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनिधित्व द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-निर्वाहियों विनये ऐसा किया जाना है।	अनुपस्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी (विभागा प्रमुख)	रु. 20500-250-26500	चयन	45	अतिरिक्त: (i) भारतीय सन्दी लेखाकार संस्थान या भारतीय सलाह तथा संचालन-लेखाकार संस्थान के सदस्य। (ii) निजी औद्योगिक / वित्तीय / सरकारी उद्यमों में वित्त लेखा कर्मी के क्षेत्र में कार्यपालक प्रवर्ग में सत्रह वर्षों का अनुभव।	(क) नहीं है (ख) नहीं (ग) नहीं	लागू नहीं	निर्दिष्ट पद्धति के माध्यम से विलयन द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनिधित्व द्वारा, इन दोनों के न होने पर सौचीय भर्ती द्वारा।	निर्दिष्ट पद्धति के माध्यम से विलयन हेतु निजी भक्त पत्र न्यास के लिए विभाग में सहायक पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा प्रवर्ग-II वाले पत्रों में वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी पद धारण करनेवाले ऐसे अधिकारी विनये इस श्रेणी में 2 वर्षों की निवृत्ति सेवा की है अथवा रु. 17500-22500 के वेतनमान में पद धारण करनेवाले ऐसे अधिकारी, विनये इस श्रेणी में 4 वर्षों की निवृत्ति सेवा की है अथवा ऐसे अधिकारी, विनये इस श्रेणी में रु. 16000-20500 के वेतनमान में 5 वर्षों की निवृत्ति सेवा की है, इसके पत्र होंगे। प्रतिनिधित्व के मामले में सरकारी / अर्ध सरकारी / सार्वजनिक उद्यमों अथवा स्वायत्तशासी निगमों में सहायक पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा वित्त विभाग में वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी अथवा सहायक पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी, विनये रु. 18500-23900 के वेतनमान में इस श्रेणी में 2 वर्षों की निवृत्ति सेवा की है अथवा वित्त विभाग के ऐसे करिष्ठ उप वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी अथवा सहायक पद धारण करनेवाले अधिकारी, विनये रु. 16000-20500 के वेतनमान में इस श्रेणी में 5 वर्षों की निवृत्ति सेवा की है, इसके पत्र होंगे। या चयन योग्यता के आधार पर है, इसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में समस्त वित्त-निर्वाह संबंधी निर्देश - कि "सुदूर अक्षा" से कम नहीं होंगे।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिचीका की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ किनसे ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तिता	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	वरिष्ठ उप मुख्य लेखा अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	रु.16000 - 400- 20800	चयन	42	अनिवार्य : (i) भारतीय सनदी लेखाकार के संस्थान या भारतीय लागत तथा संकर्म-लेखाकार के संस्थान के सदस्य। (ii) किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक /सरकारी उपक्रम में वित्त लेखा कार्य के क्षेत्र में कार्यपालक प्रवर्ग में 12 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं	मिश्रित पद्धति के माध्यम से विलयन द्वारा ऐसा न हो पाने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा, न होने के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	मिश्रित पद्धति के माध्यम से विलयन हेतु किसी महा पत्तन न्यास के वित्त विभाग की संबंधित शाखा में सदस्य पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा उप मुख्य लेखा अधिकारी अथवा समकक्ष पद धारण करनेवाले अधिकारी, जिन्होंने रु.13000-18250 के वेतनमान में उस श्रेणी में रु.13000-18250 में 3 वर्षों की सेवा की है अथवा किसी महा पत्तन न्यास के वित्त विभाग की संबंधित शाखा में उप मुख्य लेखा अधिकारी अथवा समकक्ष पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्षों की सेवा की है तथा रु.10750-16750 तथा रु.13000-18250 के वेतनमान में 7 वर्षों की संयुक्त सेवा की है, इसके पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति के मामले में सरकारी /अर्ध सरकारी / सार्वजनिक उपक्रमों अथवा स्वायत्तशासी निकायों में सदस्य पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा वित्त विभाग की संबंधित शाखा में उप मुख्य लेखा अधिकारी अथवा समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी, जिन्होंने रु.13000-18250 के वेतनमान में उस श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा की है, इसके पात्र होंगे। यह ध्यान योग्यता के आधार पर होता है, जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में समस्त क्रम-निर्धारण संबंधी निर्देश विवर "बहुत अच्छा" से कम नहीं होंगे।		

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अधिन पद	सीबी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीबी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए शिक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीबी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों में मामले (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीबी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ किनसे रेखा किया जाना है।	अभ्युक्तिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	उप मुख्य सेवा अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	रु. 13000 - 350 - 18250	चयन	40	अनिवार्य : (i) भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान अथवा भारतीय लागत तथा सक्म लेखाकार संस्थान का सदस्य। (ii) किसी औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में वित्त सेवा कार्य के क्षेत्र में कार्यपालक प्रवर्ग में नौ वर्षों का अनुभव।	(क) नहीं (ख) नहीं, किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विद्याविद्यालय की डिग्री आवश्यक है। (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न हो पाने पर सीबी भर्ती द्वारा।	वित्त विभाग की संबंधित शाखा में रु. 10750 - 16750 के वेतनमान में उस श्रेणी में 4 वर्षों की नियमित सेवा करनेवाले वरिष्ठ सेवा अधिकारी की पदेनिति द्वारा, जिसके न हो सकने पर रु. 10750-16750 के वेतनमान में उस श्रेणी में 2 वर्षों की सेवा और रु. 10750 - 16750 तथा रु. 9100-15100 के वेतनमान में 9 वर्षों की संयुक्त सेवा करने वाले वरिष्ठ सेवा अधिकारी की पदेनिति द्वारा। महा पत्तन न्यास के ऐसे अधिकारी जो उसी ग्रेड में सरदा पदे पर है अथवा ऐसे वरिष्ठ सेवा अधिकारी जो उस पद पर, रु. 10750-16750 के वेतनमान में उसी श्रेणी में 4 वर्षों की सेवा की है, से विलयन / प्रतिनियुक्ति हो सकती है।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवयव न पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	2	प्रथम श्रेणी	रु. 10750 -300 - 16750	चयन	35	अनिवार्य : (i) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान अथवा भारतीय लागत तथा संचर्मा लेखाकार संस्थान का सदस्य। (ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में वित्त लेखा कार्य के क्षेत्र में कार्यपालक स्तर में पाँच वर्षों का अनुभव।	(क) नहीं (ख) नहीं, किन्तु किसी मायदा प्राप्त विद्याविद्यालय की डिग्री आवश्यक है। (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो जाने पर विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो जाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	वित्त विभाग की संबंधित शाखा के ऐसे लेखा अधिकारी ग्रेड-1 जिन्होंने रु. 9100-15100 के वेतनमान में उस श्रेणी में 5 वर्षों की सेवा की है और ऐसा न हो जाने ऐसे लेखा अधिकारी ग्रेड-1 जिन्होंने रु. 9100-15100 के वेतनमान में उस श्रेणी में 2 वर्षों की सेवा की है तथा जिन्होंने रु. 9100-15100 तथा 8600-14600 के वेतनमान में उस श्रेणी में 8 वर्षों की संयुक्त सेवा की है, की प्रोन्नति द्वारा। विलयन/प्रतिनियुक्ति हेतु किसी महा पत्तन न्यास में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा ऐसे लेखा अधिकारी ग्रेड-1 के पद पर रु. 9100-15100 के वेतनमान में उस श्रेणी में 5 वर्षों की निश्चित सेवा की है, से विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनिधित्व की स्थिति में लागू होंगे।	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनिधित्व द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनिधित्व द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अनुसूचित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	उप निदेशक (इंडीपी)	1	प्रथम श्रेणी	रु. 10750 -300 - 16750	चयन	35	अभिकर्ता: (1) किसी मन्वत प्राप्त विभागाध्यक्ष / संस्थान से कम्प्यूटर ऑपरेटिव / कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री अथवा किसी मन्वत प्राप्त विभागाध्यक्ष / संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग / कम्प्यूटर विज्ञान / बुनियादी प्रोग्रामिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित गणित / सांख्यिकी / प्रबन्धन अनुसंधान/अर्थशास्त्र में डिग्री अथवा किसी मन्वत प्राप्त विभागाध्यक्ष / संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग / कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित ऑपरेटिव में डिग्री। (2) प्रोग्रामिंग/सैमेट्रिक डाटा प्रोसेसिंग / प्रभावी विज्ञान पेटेंट एप्लीकेशन तथा संशोधन में पीएचडी का अनुभव। संक्षेप: (1) किसी मन्वत प्राप्त विभागाध्यक्ष / संस्थान से प्रभावी अथवा बुनियादी अथवा एप्लीकेशन अथवा बुनियादी प्रोग्रामिंग तथा संबंधित विषयों में डिप्लोमा सहित गणित / सांख्यिकी / प्रबन्धन अनुसंधान / अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा कम्प्यूटर विज्ञान अथवा कम्प्यूटर ऑपरेटिव अथवा प्रभावी अथवा बुनियादी अथवा एप्लीकेशन अथवा बुनियादी प्रोग्रामिंग अथवा कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा कम्प्यूटर विज्ञान (स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा)।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर विलयन / प्रतिनिधित्व द्वारा, दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पी. एंड आर. प्रभाग की संबंधित शाखा में ऐसे सहायक निदेशक (इंडीपी)/प्रभावी विदेशक/प्रोग्रामर जिन्होंने रु. 9100-15100 के वेतनमान में उस श्रेणी में 5 वर्षों की सेवा की है, की प्रोन्नति द्वारा और ऐसा न हो पाने पर ऐसे सहायक निदेशक (इंडीपी)/सिस्टम एनालिस्ट प्रोग्रामर जिन्होंने रु. 9100-15100 के वेतनमान में उस श्रेणी में 2 वर्षों की सेवा की है तथा जिन्होंने, रु. 9100-15100 तथा रु. 8600-14600 के वेतनमान में उस श्रेणी में 8 वर्षों की सफुल्ल सेवा की है, की प्रोन्नति द्वारा।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	पुरवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-प्रेषणों विमसे ऐसा किया जाना है।	अप्युक्तियों
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	लेखा अधिकारी ग्रेड-I	2	प्रथम श्रेणी	रु. 9100 -250 - 15100	चयन	30	अनिवार्य : भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान अथवा भारतीय लागत तथा संकर्म लेखाकार संस्थान का सदस्य। वांछनीय : किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में वित्त, लेखा कार्य के क्षेत्र में कार्यपालक स्तरों में दो वर्षों का अनुभव।	(क) नहीं (ख) नहीं, किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री आवश्यक है। (ग) नहीं	2	31 दिसंबर 2006 तक सीधी भर्ती द्वारा - 33.1/3% प्रोन्नति द्वारा - 66.2/3% 31 दिसंबर 2006 के बाद सीधी भर्ती द्वारा - 66.2/3% प्रोन्नति द्वारा - 33.1/3%	ऐसे लेखा अधिकारी (ग्रेड-II)/सहायक लेखा अधिकारी जिन्होंने उसी श्रेणी में रु. 8600-14600 के वेतनमान में 3 वर्षों की सेवा की हो, से पदेनति।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मापले (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अप्युक्तियों
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	सहायक निदेशक (अनुसंधान)	1	प्रथम श्रेणी	रु. 9100 - 250 - 15100	चयन	30	अनिवार्य : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से अर्थशास्त्र अथवा सांख्यिकी अथवा गणित में डिग्री वाञ्छनीय : (1) डाटा एकांकिकरण, स्प्रेडशीट, निर्वहन, अथवा क्षेत्र सर्वेक्षण, तथा अन्येण आदि के संचालन में कार्यपालक संवर्ग में दो वर्षों का अनुभव। ii) कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्थशास्त्र अथवा सांख्यिकी अथवा गणित में डिग्री अथवा प्रकाशन अनुसंधान और सहस्रद विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा	(क) नहीं (ख) हाँ, (ग) नहीं	2	31 दिसं. 2006 तक सीधी भर्ती द्वारा - 33.1/3% प्रोन्नति द्वारा - 66.2/3% 31 दिसं. 2006 के बाद सीधी भर्ती द्वारा - 66.2/3% प्रोन्नति द्वारा - 33.1/3%	ऐसे सांख्यिकी तथा अनुसंधान अधिकारी, जिन्होंने रु. 8600-14600 के वेतनमान में उस श्रेणी में 3 वर्षों की सेवा की है, की प्रोन्नति द्वारा।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवयव पद	संश्लेषित काले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	संश्लेषित काले उम्मीदवारों के लिए अन्य योग्यताएं	9	10	11	12	13
							संश्लेषित काले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	क्या संश्लेषित काले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनिधित्व की स्थिति में लागू होगी	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	पदों की संख्या (क्या संश्लेषित काले उम्मीदवारों के लिए प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनिधित्व द्वारा होगी)		अनुसूचित वर्ग
1		2		5	6	7	8					
25	सहायक निदेशक (एडीपी)	1	प्रथम श्रेणी	रु. 9100 - 250 - 15100	चयन	30	अतिरिक्त: (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी / कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित गणित / सांख्यिकी / प्रकाशन अनुसंधान/अर्थशास्त्र में डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/ कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित अभियांत्रिकी में डिग्री। वांछनीय: (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से प्रगती अथवा सूचना प्रणाली अथवा परमार्थस अथवा सूचना प्रौद्योगिकी तथा संबद्ध विषयों में विशेषज्ञता सहित गणित / सांख्यिकी / प्रकाशन अनुसंधान/अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा कम्प्यूटर विज्ञान अथवा कम्प्यूटर अभियांत्रिकी अथवा प्रगती अथवा सूचना प्रणाली अथवा परमार्थस अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा व्यापार प्रशासन (स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा)। ii) प्रोग्रामिंग/स्टैटिस्टिक प्रोसेसिंग/ प्रगती आदि में 2 वर्षों का अनुभव	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	31 अक्टूबर 2006 तक संश्लेषित काले उम्मीदवारों की संख्या - 33. 1/3% प्रोन्नति द्वारा - 66. 2/3 % 31 अक्टूबर 2006 के बाद संश्लेषित काले उम्मीदवारों की संख्या - 66. 2/3% प्रोन्नति द्वारा - 33. 1/3 %	रिसे प्रोग्रामर/डाटा प्रोसेसिंग अधिकारी, जिन्होंने रु. 8600-14600 के वेतनमान में उस श्रेणी में 3 वर्षों की सेवा की है, की प्रोन्नति द्वारा।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों से संबंधित (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होंगी अथवा प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा होंगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-अभिव्यक्ति सेना किया जाना है।	अनुसूचित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	मुख्य यांत्रिक अभियंता	1	प्रथम श्रेणी	रु. 20500 -500 - 26500	चयन	45	<u>अनिवार्य:</u> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय / संस्थान से यांत्रिकी / विद्युत / इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार अभियांत्रिकी / नौवल वास्तु शिल्प में डिग्री अथवा समकक्ष डिग्री अथवा वाणिज्य-पोत परिवहन अभियंता, 1958 के अधीन जारी किया गया एम्प्लोटी, प्रथम श्रेणी का मोटर संबंधी प्रमाणपत्र (ii) किसी महापतन न्यास / औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में यांत्रिक / विद्युत / समुद्री / इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी कार्य में प्रबंधकीय क्षमता से कार्य करने का 17 वर्षों का अनुभव जिसमें से 10 वर्षों का अनुभव नौभार प्रहस्तन उपकरणों / विद्युत संस्थापन / जलयान मर-मत संबंधी अनुरक्षण की कार्यशाला में कार्य करने का होना चाहिए।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं	भिन्न पद्धति के माध्यम से विलयन द्वारा देखा न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	भिन्न पद्धति के माध्यम से विलयन द्वारा देखा न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा। प्रतिनियुक्ति के मामले में सरकारी / स्वयंसेवक उपक्रमों अथवा स्वायत्तशासी निकायों में सदस्य पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा यांत्रिकी तथा विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में उप मुख्य यांत्रिक अभियंता तथा समकक्ष पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी जिन्होंने रु. 18500-23900 के वेतनमान में उस श्रेणी में 2 वर्षों की नियमित सेवा की है अथवा यांत्रिकी तथा विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में उप मुख्य यांत्रिक अभियंता तथा समकक्ष पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी जिन्होंने रु. 16000-20800 तथा उससे अधिक वेतनमान में उस श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा की है इसके पत्र होंगे। यह चयन योग्यता के आधार पर है, जिसके लिए चार्जिंग पोपुलैव रिपोर्ट में समस्त इन निर्धारण संबंधी निर्देश-चित्र-चित्र-चित्र अथवा "से कम नहीं होगा।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों से संबंधित (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे	परिवर्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	उप मुख्य यांत्रिक अभियंता	1	प्रथम श्रेणी	रु. 16000-400-20800	चयन	42	अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय / संस्थान से यांत्रिकी / विद्युत / इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। (ii) किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम की सुमंगत शाखा में प्रशासक प्रवर्ती में 12 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं	मिश्रित पद्धति के माध्यम से विलयन द्वारा ऐसा न हो पाने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा इनके जो के न ले पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	मिश्रित पद्धति के माध्यम से विलयन हेतु मरु पत्तन न्यास के यांत्रिकी तथा विद्युत अभियांत्रिकी विभाग की संबंधित शाखा में सदस्य पद धारण करनेवाले अधिकारी अथवा अधीक्षक अभियंता तथा समकक्ष पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी, जिन्होंने रु. 13000-18250 के वेतनमान में उस श्रेणी में 3 वर्षों की सेवा की है, अथवा किसी मरु पत्तन न्यास के यांत्रिकी तथा विद्युत अभियांत्रिकी विभाग की संबंधित शाखा में अधीक्षक अभियंता तथा समकक्ष पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी, जिन्होंने रु. 13000-18250 के वेतनमान में 7 वर्षों की संयुक्त सेवा की है, इसके पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति के मामले में सरकारी / सार्वजनिक उपक्रमों / स्वायत्तशासी निकायों आदि में सदस्य पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा यांत्रिकी तथा विद्युत अभियांत्रिकी विभाग की संबंधित शाखा में अधीक्षक अभियंता तथा समकक्ष पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी जिन्होंने रु. 13000-18250 के वेतनमान में उस श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा की है, इसके पात्र होंगे। यह चयन योग्यता के आधार पर है, जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में समस्त क्रम निर्धारण संबंधी निर्देश-विहिन "युद्ध अक्ष" से कम नहीं होगा।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सौधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सौधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	सौधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	सौधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	प्रोन्नति/ विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाता है।	अभ्युक्तियाँ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	अधीक्षक अभियंता (यांत्रिक/ विद्युत/एस एण्ड ई)	2	प्रथम श्रेणी	रु.13000 -350 - 18250	चयन	40	अनिवार्य : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से यांत्रिकी / विद्युतीय / इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार अभियांत्रिकी की डिग्री या समकक्ष डिग्री हो। (ii) किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में सुसंगत शाखा में कार्यपालक प्रवर्ग में नौ वर्षों का अनुभव हो।	(क) नहीं (ख) नहीं, किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सुसंगत शाखा में अभियांत्रिकी में डिप्लोमा आवश्यक है। (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न हो पाने पर सौधी भर्ती द्वारा।	एम एण्ड ई अभियांत्रिकी विभाग की संबंधित शाखा के ऐसे अधिशासी अभियंता जिन्होंने रु.10750-16750 के वेतनमान में उसी श्रेणी में 4 वर्षों की नियमित सेवा की है, और ऐसा न हो पाने पर ऐसे अधिशासी अभियंता जिन्होंने रु. 10750-16750 के वेतनमान में उसी श्रेणी में 2 वर्षों की सेवा की है, और रु. 10750-16750 तथा रु.9100-15100 के वेतनमान में 9 वर्षों की संयुक्त सेवा की है, की प्रोन्नति होगी। विलयन/प्रतिनियुक्ति हेतु किसी मूल पदान्तर न्यास में सदृश पद अथवा समरूप पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में 4 वर्षों की सेवा की है, से विलयन/प्रतिनियुक्ति होगी।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अन्य योग्यताएँ	दया सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (दया सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अप्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	अधिशाली अभिवृत्ता (यात्रिक/विद्युत/ई एंड एम)	3	प्रथम श्रेणी	10750 - 300 - 16750	चयन	35	अनिवार्य : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से यात्रिकी/विद्युतीय/इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार अभियांत्रिकी की डिग्री या समकक्ष डिग्री। (ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में पुसंगत शाखा में कार्यपालक प्रवर्ग में पाँच वर्षों का अनुभव।	(क) नहीं (ख) नहीं, किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान की पुसंगत शाखा में अभियांत्रिकी में डिप्लोमा आवश्यक है। (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	यात्रिकी तथा विद्युत अभियांत्रिकी विभाग की संबंधित शाखा के ऐसे सहायक अधिशाली अभिवृत्ता जिन्होंने रु. 9100-15100 के वेतनमान में उसी श्रेणी में 5 वर्षों की सेवा दी है, और ऐसा न होने पर ऐसे सहायक अधिशाली अभिवृत्ता जिन्होंने रु. 9100-15100 के वेतनमान में उसी श्रेणी में 2 वर्षों की सेवा दी है तथा रु. 9100-1500 तथा रु. 8600-14600 के वेतनमान में 8 वर्षों की संयुक्त सेवा दी है, अथवा उस शाखा में रु. 9100-15100 का वेतनमान विद्यमान नहीं होने पर ऐसे डिप्लोमा धारक अभिवृत्ता जिन्होंने रु. 8600-14600 के वेतनमान में उस श्रेणी में 8 वर्षों की सेवा की है की प्रोन्नति द्वारा। हेतु महापत्तन न्याय में संबंधित शाखा में सदृश पद अथवा समरूप पद धारण करनेवाले ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्षों की सेवा की है से विलयन/प्रतिनियुक्ति होगी।	

[illegible]

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सोची भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सोची भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य क्षेत्रवार	सभी सोची भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विपन्न प्रतियोगिता की स्थिति में लागू होंगे।	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की प्रकृति ((क) सभी भर्ती होंगे (ख) प्रतियोगिता/प्रतियोगिता द्वारा होंगे)	प्रोन्नति/विपन्न/प्रतियोगिता द्वारा भर्ती होने से पर-ओवर बिन्दु ऐसा किया जाना है	आयुनिर्धार	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	सहायक अधिशासी अभियंता (यांत्रिक/विद्युत)	4	प्रथम श्रेणी	9100-250-15100	चयन	30	अनिवार्य:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से यांत्रिक/विद्युत/इलेक्ट्रिकल तथा संश्लेषण अभियंता/विद्युत या संश्लेषण। शैक्षणिक:- किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम को जुड़वात शाखा में कार्यपात्रक प्रवर्ग में दो वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं (ख) नहीं, किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अभियंता/विद्युत या संश्लेषण की पुर्वगत शाखा में डिप्लोमा अनिवार्य है। (ग) नहीं	2	31. दिसंबर 2008 तक सोची भर्ती द्वारा 33. 1/3% प्रोन्नति द्वारा 66. 2/3% 31. दिसंबर 2008 के अनुसार सोची भर्ती द्वारा 66. 2/3% प्रोन्नति द्वारा 33. 1/3%	ऐसी सहायक अभियंता (यांत्रिक/विद्युत/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल के पर-ओवर बिन्दु रु. 8600-14600 के वेतनमान में उस श्रेणी 3 वर्ग की सेवा की है, जो प्रोन्नति द्वारा।		

क्रम सं.	पर का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलंबन/प्रतिनिधित्व की स्थिति में लागू होंगे।	परिबीबी की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति ((क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/ विलंबन/प्रतिनिधित्व द्वारा होगी)	प्रोन्नति/विलंबन/प्रतिनिधित्व द्वारा भर्ती होने की स्थिति में वे ५५८-अधिनियमों के तहत ऐसा किया जाना है	अध्यक्षिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	सहायक सामग्री प्रबंधक ग्रेड I	1	प्रथम श्रेणी	9100 - 250 - 15100	चयन	30	अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/ संस्थान से यांत्रिकी/ विद्युत/ सिविल अभियंत्रिकी में डिग्री या समकक्ष। वांछनीय:- i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सामग्री प्रबंधन में अनुनातक डिग्री/डिप्लोमा। ii. किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में सामग्री प्रबंधन में योग्यता के उपरान्त दो वर्ष का अनुभव	(क) नहीं (ख) नहीं, किन्तु किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सुसंगत शाखा में डिप्लोमा अनिवार्य है। (ग) नहीं	2	31. दिस. 06 तक सीधी भर्ती द्वारा 33. 1/3% प्रोन्नति द्वारा 66 2/3% 31. दिस. 06 के पश्चात सीधी भर्ती द्वारा 66 2/3% प्रोन्नति द्वारा 33 1/3%	ऐसे सहायक अभियंता (एस/एडमर)/सहायक अभियंता (असिस्टेंट), सहायक सामग्री प्रबंधक ग्रेड-II जिन्होंने उस श्रेणी के रु. 8600-14600 के वेतनमान में 3 वर्ष की सेवा की है, की प्रोन्नति द्वारा	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक आर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विकास प्रतिनिधित्व की स्थिति में लागू होंगे।	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति ((क) सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/विकास प्रतिनिधित्व द्वारा होगी)	12	13
33	यातायात प्रबंधक	1	प्रथम श्रेणी (विभाग प्रमुख)	20500 -500 - 26500	चयन	45	i. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री ii. किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रमों में निवृत्त/नौकर प्रवासन/ रेलवे परिवहन के संबंध में कार्यपालक प्रवर्ग में 17 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं	11 मिश्रित पद्धति से विकास द्वारा ऐसा न हो करने पर प्रतिनिधित्व द्वारा तथा इन दोनों के न होने पर सीधे भर्ती द्वारा।	मिश्रित पद्धति द्वारा विकास हेतु यह पद नया के कारतयात विभाग में संपूर्ण एवं कारित अधिकारी का कारतयात प्रवर्ग/प्रवर्ग-11 फेड में से सीधे की नियुक्ति केव अथवा ऐसे परकारित अधिकारी जो उस श्रेणी में रु.17500-22300 के वेतनमान में 4 वर्ष की नियुक्ति केव में है अथवा ऐसे पर कारित अधिकारी जो उस श्रेणी में रु.16000-20800 के वेतनमान में 5 वर्ष की नियुक्ति केव में है, से प्राप्त होंगे। प्रतिनिधित्व हेतु सरकारी/अर्धसरकारी/जनकर्मिक उद्योग के स्वयत्ता विकास में कारतयात विकास के संपूर्ण एवं कारित अधिकारी का कारतयात प्रवर्ग के एवं कारित अधिकारी और समक एवं कारित अधिकारी जो उस श्रेणी में रु.18500-23900 के वेतनमान में 2 वर्ष की नियुक्ति केव में हों अथवा कारतयात विभाग में कारित उस कारतयात प्रवर्ग एवं उनके समक एवं पर उस श्रेणी में रु.16000-20800 और उपर से अधिक पर 5 वर्ष नियुक्ति केव की है तो से प्राप्त होंगे। कारतयात के अकार पर चयन होगा जिसके लिए कॉलेज पोपुलैर रिसेट के संपूर्ण प्रम-निर्धारण संबंधी निर्देश-विश्व-कुरु अथवा से कम नहीं होने चाहिए।	

प्रोन्नति / विकास / प्रतिनिधित्व द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाता है।

निर्दिष्ट पद्धति द्वारा चयन हेतु भाग पत्रन न्याय के कार्यालय विभाग में संपूर्ण पद श्रेणी में भर्ती अधिकारी या कार्यालय प्रबंधक-11 श्रेणी में वे सभी की निर्दिष्ट सेवा अवधि से पदश्रेणी अधिकारी से उस श्रेणी में रु. 17500-22300 के वेतनमान में 4 वर्ष की निर्दिष्ट सेवा में है अथवा ऐसे पद श्रेणी अधिकारी जो उस श्रेणी में रु. 16000-20800 के वेतनमान में 5 वर्ष की निर्दिष्ट सेवा में है, वे का होंगे। प्रतिनिधित्व हेतु सरकारी/अर्द्धसरकारी/जनकर्म उद्योग या स्वयंसेवा विभाग में कार्यालय विभाग के संपूर्ण पद श्रेणी अधिकारी या कार्यालय प्रबंधक के पद श्रेणी अधिकारी और समस्त पद श्रेणी अधिकारी जो उस श्रेणी में रु. 18500-23900 के वेतनमान में 2 वर्ष की निर्दिष्ट सेवा में हैं अथवा कार्यालय विभाग में श्रेष्ठ उस कार्यालय प्रबंधक एवं उनके समस्त पदों पर उस श्रेणी में रु. 16000-20800 और उसके अधिक पर 5 वर्ष निर्दिष्ट सेवा की है तो वे का होंगे। योग्यता के अन्तर्गत पर चयन होगा निम्नलिखित लिए वर्गिक गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक निर्धारण संबंधी निर्देश-विशेष "कुछ अथवा" से कम नहीं होना चाहिए।

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवकाश पद	सभी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सभी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सभी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों में (क) आनु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोत्ति/विलयन /प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिबीबी की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोत्ति/ विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोत्ति/ विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-अभियार्थी किन्से ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	परिच्छ उप यातायात प्रबंधक	1	प्रथम श्रेणी	16000 -400 - 20800	चयन	42	i. मान्यता प्राप्त विरवाचालय से डिग्री ii. किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रमों में नौबहन/नीभार प्रचालन/ रेलवे परिवहनके संबंध में कार्यपालक प्रवर्ग में 12 वर्ष का अनुभव	(क) नहीं (ख) हैं (ग) नहीं	लागू नहीं	मिश्रित पद्धति से विलयन द्वारा, ऐसा न हो पाने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	मिश्रित पद्धति द्वारा विलयन हेतु, महा पतन न्यास में यातायात विभाग में संबंधित शाखा के सदृश पद धारित अधिकारी या उप यातायात प्रबंधक तथा सम्बन्ध पद धारित अधिकारी किन्से उस श्रेणी में रु.13000-18250 के वेतनमान में से 3 वर्षों की सेवा की हो अथवा महा पतन न्यास के यातायात विभाग में उप यातायात प्रबंधक तथा यातायात विभाग की संबंधित शाखाओं के सम्बन्ध पद धारित अधिकारी किन्से उस श्रेणी में रु.13000-18250 के वेतनमान में 2 वर्ष की नियमित सेवा तथा रु. 10750- 16750 और रु.13000-18250 के वेतनमान में 7 वर्षों की संयुक्त सेवा की हो, वे पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों या स्वायत्त निकायों में यातायात विभाग के सदृश पद धारित अधिकारी अथवा उप यातायात प्रबंधक पद धारित अधिकारी किन्से उस श्रेणी में रु.13000-18250 के वेतनमान में से 3 वर्षों की सेवा की हो तो वे पात्र होंगे। योग्यता के आधार पर चयन होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के सकल क्रम निर्धारण संबंधी निर्देश-विह "बहुत अच्छा" से कम नहीं होने चाहिए।	महा पतन न्यास के

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	शैतनमान (रु.)	चयन या अवयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विशेष शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनिधित्व की स्थिति में लागू होंगे।	परिबीधा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनिधित्व द्वारा होगी)	प्रोन्नति/ विलयन/ प्रतिनिधित्व द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-अधिकारी विनये ऐसा किया जाना है।	अध्यक्षिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
35	उप यातायात प्रबंधक	1	प्रथम श्रेणी	13000 -350 - 18250	चयन	40	i. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री ii. किसी औद्योगिक/कृषि/सैनिक/सार्वजनिक/उद्योगों में मैनेजर/सुपर प्रवाहन/ रेलवे परिवहन संस्थान में कार्यरत एक वर्षों में 9 वर्ष का अनुभव	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा ऐसा न हो पाने पर विलयन/प्रतिनिधित्व द्वारा तथा इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा	ऐसे वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक जो उस श्रेणी में रु. 10750-16750 के वेतनमान में 4 वर्ष की निरक्षरता सेवा के ग्रेड में हों, ऐसा न हो पाने पर वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबंधक जो रु. 10750-16750 के वेतनमान में दो वर्ष की सेवा तथा यातायात विभाग की संबंधित शाखा में रु. 10750-16750 तथा रु. 9100-15100 के वेतनमान में 9 वर्ष की संयुक्त सेवा में हों, जो प्रोन्नति दी जाती है। ऐसे अधिकारी का विलयन/ प्रतिनिधित्व होगी जो महा पत्तनों न्यासों में उक्त उस श्रेणी में रु. 10750-16750 के वेतनमान 4 वर्ष की सेवा सहित सदृश पद या वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबंधक पद धारी हों।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	संघो भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	संघी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मापले (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन/प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिवर्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति ((क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिसे ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तिता
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबंधक	1	प्रथम श्रेणी	रु. 10750-300-16750	चयन	35	अनिवार्य: i. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री ii. किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रमों में नीवहन/नीभार प्रचालन/रेलवे परिवहनके संबंध में कार्यपालक प्रवर्ग में 5 वर्ष का अनुभव	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	02	प्रोन्नति द्वारा ऐसा न हो पाने पर विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती	ऐसे सहायक यातायात प्रबंधक ग्रेड 1 जिन्होंने रु. 9100-15000 के वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा की हो प्रोन्नति होगी तथा ऐसा न हो पाने पर ऐसे सहायक यातायात प्रबंधक, ग्रेड-1 जिन्होंने उस श्रेणी में रु. 9100-15100 के वेतनमान में 2 वर्ष की नियमित सेवा में हो और यातायात विभाग की संबंधित शाखा में रु. 9100-15100 तथा रु. 8690-14600 के वेतनमान में 8 वर्ष की संकुलित सेवा की हो, जो प्रोन्नति दी जाती है। ऐसे अधिकारियों का विलयन/प्रतिनियुक्ति होगी जो महा पत्तने न्याय में उक्त श्रेणी में रु. 9100-15100 के वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा सहित सरुदा पर या सहायक यातायात प्रबंधक ग्रेड 1 पद धारी हो।	

क्रम सं.	पद का नाम /	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रति-निवृत्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की प्रणालि ((क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/ विलयन /प्रतिनिवृत्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनिवृत्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ किससे ऐसा किया जाना है।	अनुवृत्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	सहायक यातायात प्रबंधक ग्रेड-I	3	प्रथम श्रेणी	रु. 9100-250-15100	चयन	30	अ. न्यार्चः 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री राष्ट्रीय किरी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपात्तों में नौवहन/नौभार प्रचालन / रेलवे परिवहन के संबंध में कार्यपालक प्रवर्ग में 2 वर्ष का अनुभव	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	02	31. सि. 06 तक सीधी भर्ती द्वारा 33. 1/3% प्रवेनति द्वारा 66 2/3% 31. सि. 06 के पुरस्कार सीधी भर्ती द्वारा 66 2/3% प्रवेनति द्वारा 33. 1/3%	ऐसे सहायक यातायात प्रबंधक ग्रेड II जिन्होंने उस श्रेणी में रु. 8600-14600 के वेतनमान में 3 वर्ष की सेवा की है, से प्रोन्नति द्वारा	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवयव पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	ब्या सीधी भर्ती करनेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन/प्रति-निवृत्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिवर्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति ((न्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/ विलयन/प्रतिनिवृत्ति द्वारा होगी) रा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनिवृत्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियों विनसे ऐसा किया जाना है।	अनुमतिपूर्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
38	मुख्य अभिवर्त	एक	प्रथम श्रेणी (विभाग प्रमुख)	रु. 20500 - 500 - 26500	चयन	45	(1) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से स्नातक अभियांत्रिकी डिग्री का सम्मेलन (H). निम्नी औद्योगिक / वाणिज्यिक/सरकारी उद्यमों में सेवा/निर्माण कार्य/प्रकार/अनुसंधान कारखाना पोर्ट के एवं समुद्री संरक्षण संबंधी कार्यफलक प्रवर्ग में 17 वर्ष का अनुभव	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं	मिश्रित पद्धति से विलयन द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनिवृत्ति द्वारा रा का मन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	मिश्रित पद्धति द्वारा विलयन हेतु महा चयन न्याय के सिद्धि अभियांत्रिकी विभाग में सूरदा पद धारित अधिकारी का द्वितीय प्रवर्ग सेट में मुख्य अभिवर्तता के पर पर सिद्धिने उस श्रेणी में वे वर्गों की नियमित सेवा अथवा ऐसे पदधारित अधिकारी जो उस श्रेणी में रु. 17500-22300 के वेतनमान में 4 वर्ष की नियमित सेवा ग्रेड में है अथवा ऐसे पद धारित अधिकारी जो उस श्रेणी में रु. 16000-20800 के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा में है तो उसे पत्र माना जाएगा। प्रतिनिवृत्ति हेतु, सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्ता निगमों के सिद्धि अभियांत्रिकी विभाग में सूरदा पद धारित अधिकारी का मुख्य अभिवर्तता और उसके समकक्ष पद धारित जो उस श्रेणी में रु. 18500-23900 के वेतनमान सिद्धि 2 वर्ष की नियमित सेवा में है या ऐसे अधिकारी जो उप मुख्य अभिवर्तता और उसके समकक्ष पदों पर उस श्रेणी में रु. 16000-20800 के वेतनमान तथा उससे अधिक वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा में कार्यरत हो तो पत्र होंगे। योग्यता के अन्तर्गत चयन होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के सकल श्रेणी कारण के अनुसार निर्देश-विधान "बहुत अच्छा" से कम नहीं होना चाहिए।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की प्रकृति ((क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	उप मुख्य अभियंता (सिविल)	2	प्रथम श्रेणी	16000 -400 - 20800	चयन	42	(i) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या समकक्ष ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रमों में योजना / निर्माण कार्य/प्रकल्प/अनुसंधान खासकर पोर्ट के एवं समुद्री संरचना संबंधी कार्यपालक प्रवर्ग में 12 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं	मिश्रित प्रकृति से विलयन द्वारा ऐसा न हो पाने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	मिश्रित प्रकृति द्वारा विलयन हेतु, मध्य पतन न्यासों के सिविल अभियांत्रिकी विभाग में सदृश पद धारित अधिकारी या में अधीक्षक अभियंता या सिविल अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित शाखा उसके समकक्ष पद पर उस श्रेणी में रु.13000-18250 के वेतनमान में 3 वर्ष की सेवा में हो अथवा मध्य पतन न्यास के सिविल अभियांत्रिकी विभाग की संबंधित शाखा में अधीक्षक अभियंता या उसके समकक्ष पद पर उस श्रेणी में रु.13000-18250 के वेतनमान में 2 वर्ष की नियमित सेवा में हो तथा मध्य पतन न्यास के सिविल अभियांत्रिकी विभाग की संबंधित शाखा में रु.10750-16750 तथा 13000-18250 के वेतनमान में 7 वर्ष की संयुक्त सेवा की हो तो उसे पात्र माना जाएगा। प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के सिविल अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित शाखा में सदृश पद धारित अधिकारी या अधीक्षक अभियंता तथा उसके समकक्ष पद पर उस श्रेणी में रु.13000-18250 के वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा में कार्यरत हो तो पात्र होंगे। योग्यता के आधार पर चयन होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के संकलन श्रेणीकरण के अनुसार निर्देश-विहिन "बहुत अच्छा" से कम नहीं होना चाहिए।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन/प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति ((क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-ओषियों जिनसे ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	अधीक्षक अभियंता (सिविल)	3	प्रथम श्रेणी	13000 -350 - 18250	चयन	40	(1) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या समकक्ष II) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रमों में योजना/निर्माण कार्य/प्रकरण/अनुसंधान/संरचना संबंधी कार्यपालक प्रवर्ग में 9 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं, (ख) नहीं, किन्तु किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा अनिवार्य है। (ग) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा ऐसा न हो जाने पर विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा इन दोनों के न हो जाने पर सीधी भर्ती	सिविल अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित शाखा के ऐसे अभियांत्री अभियंता (सिविल) के पद से जो उस श्रेणी में रु. 10750-16750 के वेतनमान सहित चार वर्ष की सेवा में हो, ऐसा न हो जाने पर ऐसे अभियांत्री अभियंता के पद से जो उस श्रेणी में रु. 10750-16750 के वेतनमान में 2 वर्ष की सेवा की हो और रु. 10750-16750 तथा रु. 9100-15100 के वेतनमान में 9 वर्ष की संयुक्त सेवा की हो उसे प्रोन्नति प्रदान की जाती है। महा पत्तन न्यास में ऐसे सदस्य पद धारित अधिकारी या संभारक पद धारित अधिकारी जिन्हें उपर्युक्त अनुभव हो उसका विलयन/प्रतिनियुक्ति होगी।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवयन पद	सोपी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सोपी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सोपी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सोपी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/ विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/ विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तियों
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	सहायक अधिशासी अभियंता (सिविल)	9	प्रथम श्रेणी	9100 - 250 - 15100	चयन	30	अनिवार्य:- मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय /संस्थान से सिविल अभियंता की डिग्री या समकक्ष वांछनीय:- 1. किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक /सरकारी उपक्रमों में योजना/निर्माण कार्य/प्रकल्प/अनुसंधान खासकर पोर्ट के एवं समुद्री संचयन संबंधी कार्यपालक प्रवर्ग में दो वर्ष का अनुभव	(क) नहीं (ख) नहीं, किन्तु किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से सिविल अभियंता की डिग्री या अनिवार्य है। (ग) नहीं	02	31. दिसं. 06 तक सोपी भर्ती द्वारा 33. 1/3% प्रोन्नति द्वारा 66. 2/3% 31. दिसं. 06 के पश्चात सोपी भर्ती द्वारा 66. 2/3% प्रोन्नति द्वारा 33. 1/3%	सहायक अभियंता (सिविल)/ सहायक वास्तुविद् तथा विज्ञान अधिकारी के पद से जो उस श्रेणी में रु. 8600-14600 के वेतनमान में 3 वर्ष की सेवा में हों उन्हें प्रोन्नति प्रदान की जाती है।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अन्य पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति ((क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/ विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद श्रेणियाँ जिन्हें ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	मुख्य अतिरिक्त अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी (विभाग प्रमुख)	रु. 20500 -500 - 26500	चयन	50	i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एम. बी. बी. एस. की डिग्री हो। ii. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चिकित्सा में अनुस्नातक डिग्री हो। iii. किसी अस्पताल में 16 वर्ष का योग्यता के उपरान्त अनुभव हो।	(क) नहीं (ख) हाँ (ख) नहीं	लागू नहीं	निम्नित पद्धति से विलयन द्वारा ऐसा न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा	निम्नित पद्धति द्वारा विलयन हेतु, मध्य पतन न्यास के चिकित्सा विभाग में सदस्य पद धारित अधिकारी या द्वितीय प्रवर्ग पोस्ट में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर उस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो अथवा ऐसे पदधारित अधिकारी जो उस श्रेणी में रु. 17500-22300 के वेतनमान में 4 वर्ष की नियमित सेवा में है अथवा ऐसे पद धारित अधिकारी जो उस श्रेणी में रु. 16000-20800 के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा में है तो उसे यंत्र माना जाएगा। प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के चिकित्सा विभाग में सदस्य पद धारित अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के और उसके समकक्ष पद धारित जो उस श्रेणी में रु. 18500-23900 के वेतनमान सहित 2 वर्ष की नियमित सेवा में हो या ऐसे अधिकारी जो उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उसके समकक्ष विशेषज्ञ पदों पर उस श्रेणी में रु. 16000-20800 तथा उसके अधिक वेतनमान सहित 5 वर्ष की नियमित सेवा में कार्यरत हो तो पद होंगे। योग्यता के आधार पर चयन होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के सकल श्रेणीकरण के अनुसार निर्देश-विहित "बहुत अच्छा" से कम नहीं होना चाहिए।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति ((क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/ विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	02	ग्रुप श्रेणी	16000 -400 - 20800	चयन	45	i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एम बी बी एस की डिग्री हो। ii. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चिकित्सा में किसी विनिर्दिष्ट विशेषज्ञता में अनुस्नातक डिग्री हो। iii. किसी अस्पताल में सुसंगत विशेषज्ञता के क्षेत्र में 10 वर्ष का योग्यता के उपरान्त अनुभव हो।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं	मिश्रित पद्धति से विलयन द्वारा ऐसा न हो पाने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा	मिश्रित पद्धति द्वारा विलयन हेतु, महा पतन न्यास के चिकित्सा विभाग में सदृश पद धारित अधिकारी या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) के पद तथा चिकित्सा विभाग में समकक्ष विशेषज्ञ पदों पर उस श्रेणी में रु. 13000-18250 के वेतनमान सहित 3 वर्ष की सेवा में हो अथवा चिकित्सा विभाग में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) के पद तथा समकक्ष विशेषज्ञ पदों पर उस श्रेणी में 2 वर्ष की सेवा की हो तथा चिकित्सा विभाग के विशेषज्ञ के तौर पर उस श्रेणी में रु. 10759-16750 एवं रु. 13000-18250 के वेतनमान में 7 वर्ष की संयुक्त सेवा में हो तो उसे पात्र माना जाएगा। प्रतिनियुक्ति हेतु, सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के चिकित्सा विभाग में सदृश पद धारित अधिकारी या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) के और उसके समकक्ष विशेषज्ञ पदधारित अधिकारी जो उस श्रेणी में रु. 13000-18250 के वेतनमान सहित 3 वर्ष की सेवा में कार्यरत हो तो पात्र होंगे। योग्यता के आधार पर चयन होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के सकल श्रेणीकरण के अनुसार निर्देश-विष्टन "बहुत अच्छा" से कम नहीं होना चाहिए।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रेन्तिस/विलयन/प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की प्रकृति ((क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रेन्तिस/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रेन्तिस/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सामान्य ड्यूटी)	01	प्रथम श्रेणी	13000-350-18250	चयन	42	अनिवार्य: i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की डिग्री हो अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (इन्त्य) हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.डी.एस की डिग्री हो। ii. एक वर्ष के इंटर्नशिप पूर्ण होने के पश्चात अस्पताल में 9 वर्ष का अनुभव। वांछनीय:- किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से चिकित्सा में अनुस्नातक डिग्री हो।	(क) नहीं (ख) हाँ (ख) नहीं	2	प्रेन्तिस द्वारा ऐसा न हो पाने पर विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा	ऐसे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सामान्य ड्यूटी) जो उस श्रेणी में रु.10750-16750 के वेतनमान सहित 4 वर्ष की सेवा में हो, ऐसा न हो पाने पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सामान्य ड्यूटी) जो उस श्रेणी में रु.10750-16750 के वेतनमान में 2 वर्ष की सेवा में हो, और रु.9100-15100 तथा 10750-16750 के वेतनमान में संयुक्त सेवा में हो उन्हें प्रेन्तिस प्रदान की जाती है। महा पत्न न्यास के ऐसे सदृश पद धारित अधिकारी या संभरक पद धारित अधिकारी जिन्हें 4 वर्षों का अनुभव हो उसका विलयन/प्रतिनियुक्ति होगी।	

क्र.सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चुन या अल्पतम पद	सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवारों के अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सर्वोच्च पद वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	इस सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवारों के समूहों में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव (घ) प्रोन्नति/विलयन /प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	पदों की पद्धति ((क) सीधी भर्ती - (ख) अल्पतम प्रोन्नति/ विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-अधिकारियों किन्हीं सेना किया जाना है।	अनुसूचित	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ)	01	प्रथम श्रेणी	रु.13000-350-18250	चुन	42	42	i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस की डिग्री हो ii. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चिकित्सा में किसी विशिष्ट विशेषज्ञता के क्षेत्र में अनुसूचित डिग्री हो। iii. किसी प्रतिष्ठित अस्पताल में सुसंगत विशेषज्ञता के क्षेत्र में 7 वर्ष का सेवा का उपरान्त अनुभव हो।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	पदेनति द्वारा ऐसा न हो तो विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	ऐसा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) जो उस श्रेणी में रु.10750-16750 के वेतनमान में 4 वर्ष की सेवा में हो, ऐसा न हो पाने पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सा.ड्यूटी) जो सुसंगत विशेषज्ञता के क्षेत्र में अनुसूचित योग्यता प्राप्त हो और जो उस श्रेणी में 4 वर्ष की सेवा में हो उन्हें पदेनति प्रथम की जाती है। महा प्रथम न्यास के ऐसे सदस्य पद धारित अधिकारी या वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) के जिन्होंने उस श्रेणी में रु.10750-16750 के वेतनमान सहित 4 वर्ष की सेवा की हो, का विलयन/प्रतिनियुक्ति होगी।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अविश्वस्यमान आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन/प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिष्कार की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की प्रकृति ((क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जा सकता है।	आयु-निर्धार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	चरित्तरीय अधिकारी (सामान्य स्तर)	02	प्रथम श्रेणी	रु. 10750 - 300 - 16750	चयन	40	अनिवार्य: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम बी बी एस की डिग्री से अथवा किसी विश्वविद्यालय (स्नातकोत्तर) से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.बी.एस की डिग्री हो। 2. एक वर्ष के इंटर्नशिप पूर्ण होने के पश्चात् अस्पताल में 5 वर्ष का अनुभव। वैकल्पिक:- 3. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विशेषज्ञता में किसी अनुसूचित डिग्री हो।	(क) नहीं (ख) हाँ (घ) नहीं	2	प्रोन्नति द्वारा ऐसा न हो तो विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	ऐसा किसी अधिकारी के जो उस श्रेणी में रु. 9100-15100 के वेतनमान सहित 5 वर्ष की सेवा में हो, उन्हें प्रोन्नति प्रदान की जाती है। महा पत्तन न्याय के ऐसे सदस्य पद धारित अधिकारी या संभारक पद धारित अधिकारी जिन्हें 5 वर्षों का अनुभव हो उसका विलयन/प्रतिनियुक्ति होगी।	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति ((क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/ विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तियों
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ)	02	प्रथम श्रेणी	रु.10750 -300 - 16750	लागू नहीं	40	अनिवार्य: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम बी बी एस की डीग्री हो अथवा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (दन्त) हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.डी.एस की डीग्री हो। ii. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विशेषज्ञता के तौर पर चिकित्सा में अनुस्नातक डिग्री हो। iii. किसी अस्पताल में सुसंगत विशेषज्ञता के क्षेत्र में 3 वर्ष का योग्यता के उपरान्त अनुभव हो।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	केतनसंख्या (क.)	प्रश्न सं. अनुसूची में	सोपी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	सोपी भर्ती हुए उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (बर्षों में)	सोपी भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए जानेवाले उम्मीदवारों के मापदंड (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	सोपी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा - होगी)	भर्ती की पद्धति (क्या सोपी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा - होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-अधिकारियों विनये ऐसा किया जाना है।	अध्यक्षिताएँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	चिकित्सा अधिकारी	7	एसएस एसपी	क. 9/181- 350- 15/00	लागू नहीं	35	अनुसूची: i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम बी बी एस की डिग्री के अथवा इरिस्ट चिकित्सा अधिकारी (दस्तावेजों के साथ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.डी.एस की डिग्री हो। ii. एक वर्ष के इन्टरशिप पूर्ण होने के पश्चात अस्पताल में। वर्ष का अनुभव। वांछनीय:- किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से चिकित्सा के क्षेत्र पर लिखित में अनुभवपूर्ण डिग्री हो।	लागू नहीं	2	सोपी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं	

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	मुख्य सतर्कता अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी (विभाग प्रमुख)	लागू नहीं	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	अखिल भारतीय/ केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा।	ऐसे अधिकारी जो भारत सरकार के निदेशक/उप सचिव स्तर पर नियुक्ति हेतु पात्र हैं	सीकीसी/डीओपी एन्टटी द्वारा जारी मार्गनिर्देशकों के अनुसार प्रतिनियुक्ति अवधि

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	व्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन /प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिवर्द्धा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति ((व्या सीधी भर्ती - होगी अथवा प्रोन्नति / विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा - होगी)	प्रोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिससे ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	उप मुख्य सतर्कता अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	रु.13000 -350 - 18250	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2 वर्ष	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति/स्थानांतरण संबंधी मिश्रित पद्धति द्वारा।	यह प्रतिनियुक्ति 3 वर्षों के लिए होगी और यह किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।	सामान्यतया यह प्रतिनियुक्ति 3 वर्षों के लिए होगी और यह किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन या अवधन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव प्रोन्नति/विलयन/प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है।	अभ्युक्तियों
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	मुख्य प्रचालन प्रबंधक	1	प्रथम श्रेणी (विभाग प्रमुख)	रु. 20500 -500 - 26500	चयन	45	<u>अनिवार्य:</u> अभियांत्रिकी में डिग्री, एमओटी प्रथम श्रेणी की सम्मति प्रमाणपत्र, विदेश गामी जहाज के मास्टर की सम्मति प्रमाणपत्र धारित मास्टर मरीनर अथवा किसी भी शाखा में अनुस्नातक, सी. ए. / आर्कसीडक्यूएआई सहित डिग्री अथवा में डिग्री सहित अथवा श्रमिक विधि/व्यवसायिक प्रबंधन में अनुस्नातक डिप्लोमा अनुभव: किसी महापत्तन न्यास/साक्षरी अथवा अर्धसाक्षरी विभाग/सार्वजनिक उपक्रम अथवा स्वायत्त शासी निकाय में अभियांत्रिकी/ समुद्री/ प्रशासन/ वित्त में कार्यपालक प्रवर्ग में 17 वर्षों का अनुभव	(क) नहीं (ख) हैं (ख) नहीं	लागू नहीं	मिश्रित पद्धति से विलयन द्वारा ऐसा न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा	मिश्रित पद्धति द्वारा विलयन हेतु, महा पत्तन न्यास के सदृश पद धारित अधिकारी या ऐसे पदधारित अधिकारी जिन्हें रु. 17500-400-22300 के वेतनमान में 4 वर्षों का अनुभव है अथवा ऐसे अधिकारी जिन्हें रु. 16000-400-20800 के वेतनमान में 5 वर्षों का अनुभव है अथवा ऐसे अधिकारी जिन्हें रु. 10750-300-16750 तथा उससे अधिक के वेतनमान में 8 वर्षों का अनुभव है तो उसे पात्र माना जाएगा। प्रतिनियुक्ति हेतु, किसी महापत्तन न्यास/साक्षरी अथवा अर्धसाक्षरी विभाग/सार्वजनिक उपक्रम अथवा स्वायत्त शासी निकाय में के सदृश पद धारित अधिकारी या ऐसे पद धारित जो उस श्रेणी में रु. 18500-23900 के वेतनमान सहित 2 वर्ष की सेवा में हो या ऐसे अधिकारी जो उस श्रेणी में रु. 16000-20800 तथा उससे अधिक वेतनमान सहित 5 वर्ष की सेवा में कार्यरत हो तो पात्र होंगे। योग्यता के आधार पर चयन होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के संकलन श्रेणीकरण के अनुसार निर्देश-विहिन "बहुत अच्छा" से कम नहीं होना चाहिए	

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वैतनमान (रु.)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आय सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएं (ग) अनुभव प्रोत्ति/विलयन /प्रति-नियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे।	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोत्ति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा - होगी)	प्रोत्ति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिन्हें ऐसा किया जाना है।	अन्युक्तिवा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	उप संरक्षक	1	प्रथम श्रेणी (विभाग प्रमुख)	रु. 20500 -500 - 28500	चयन	50	1. भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त विदेश गामी जहाज के मास्टर संवेदी समता - प्रमाणपत्र धारित हो या भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त सम्बन्ध योग्यता 2. पोर्टलट संवेदी अनुज्ञप्ति धारक हो तथा या तो पार्लेटिंग या संवेदी में दस वर्ष का अनुभव हो	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं	मिश्रित पद्धति से विलयन द्वारा ऐसा न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा इन दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा	मिश्रित पद्धति द्वारा विलयन हेतु, महा पत्तन न्यास के ऐसे सदस्य पद धारित अधिकारी या द्वितीय प्रवर्ग पोर्टों में उप संरक्षक पद पर हो या प्रवर्ग I के पोर्टों में हार्बर मास्टर के पद पर उस श्रेणी में रु. 18500-23900 के वेतनमान में 2 वर्ष की नियमित सेवा में हो अथवा ऐसे हार्बर मास्टर के पद धारित अधिकारी जो उस श्रेणी में रु. 17500-22300 के वेतनमान में 4 वर्ष की नियमित सेवा में हो तो उसे फल माना जाएगा। प्रतिनियुक्ति हेतु सरकारी / अर्धसरकारी / सार्वजनिक उपक्रमों या स्वायत्त निकायों में सदस्य पद धारित अधिकारी या उप संरक्षक पद पर और उसके सम्बन्ध डेक साइट पद धारित जो उस श्रेणी में रु. 18500-22300 के वेतनमान सहित 2 वर्ष की नियमित सेवा के ग्रेड में हो या हार्बर मास्टर के पदधारित अधिकारी और उसके सम्बन्ध डेक साइट पद धारित अधिकारी जो रु. 17500-22300 के वेतनमान सहित 4 वर्ष की नियमित सेवा के में कार्यरत हो तो फल माना होगा। योग्यता के आधार पर चयन होगा जिसके लिए वार्षिक नोपनीव रिपोर्ट के सकल श्रेणीकरण के अनुसार निर्देश चिह्न "बहुत अच्छा" से कम नहीं होना चाहिए।।	

[फा. सं. पी आर-12012/16/2004-पी ई-1]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

याद दियणी : यह प्रमुख विनियम सा.का.नि. सं. 304 दिनांक 29.2.1964 और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 871 (ई) दिनांक 26.10.1990 द्वारा प्रकाशित हुए हैं।

(ख). कडला पोर्ट ट्रस्ट (विभाग प्रमुखों की भर्ती) विनियम, 1991।

पाद टिप्पणी:- यह प्रमुख विनियम सा.का.नि. सं. 83 (ई) दिनांक 20.2.1991 और तत्पश्चात् संशोधन

सा.का.नि. सं. 628 (ई) दिनांक 14.10.1991

सा.का.नि. सं. 760 (ई) दिनांक 08.09.1992

सा.का.नि. सं. 798 (ई) दिनांक 23.10.2001 द्वारा प्रकाशित हुए हैं।

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2009

G.S.R. 767(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2009 made by the Board of Trustees of Kandla Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

The said regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

KANDLA PORT TRUST

Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2009

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Kandla Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1964 as amended from time to time.

These Regulations may be called the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2009.

**KANDLA PORT TRUST EMPLOYEES (RECRUITMENT,
SENIORITY AND PROMOTION) REGULATIONS, 2009.**

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Kandla Port hereby makes the following regulations, namely

1. Short Title and Commencement:

(1) These Regulations may be called the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.

2. Application

These regulations shall apply to all posts created under Section 27 of the Act under the Board including those covered by clause (a) of sub-section (1) of section 24 of the Act.

3. Definition

In these regulations, unless the context otherwise requires

- (a) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).
- (b) "Analogous post" means a post of which the duties and level of responsibilities and the pay ranges are comparable to those of the post to which selection is to be made.
- (c) "Appointing Authority" in relation to any grade or post means the authority empowered under the Kandla Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1964, to make appointment to that grade or post.
- (d) "Board", "Chairman", "Deputy Chairman" and "Head of Department" have the meanings respectively assigned to them under the Act.
- (e) "Class I Posts", "Class II Posts", "Class-III posts" and "Class-IV posts" shall have the same meaning as assigned to them in Regulation 4 of the Kandla Port Trust Employees (Classification, control and Appeal) Regulations, 1964
- (f) "Departmental Promotion Committee" means a Committee constituted from time to time under regulation 26 for the purpose of making recommendation for promotion to or confirmation in any grade or post.
- (g) "Direct Recruit" means a person recruited on the basis of a competitive examination or test and/or interview by Services Selection Committee.

- (h) "Employee" means an Employee of the Board.
- (i) "Grade" means any of the grades specified in the Schedule of Employees prepared and sanctioned under Section 23 of the Act.
- (j) "Lien" means the title of an employee to hold on regular basis, either immediately or on the termination of a period or periods of absence, a post to which he has been appointed on regular basis and on which he is not on probation.

Provided that the title to hold a regular post shall be subject to the condition that the junior most person in the grade will be liable to be reverted to the lower grade if the number of persons so entitled is more than the posts available in that grade.

- (k) "Permanent Employee" means an employee who has been substantively appointed to a permanent post.
- (l) "Schedule" means the Schedule appended to these regulations.
- (m) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the meanings respectively assigned to them in Clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution of India.
- (n) "Select List" in relation to any grade or post means the select list prepared in accordance with regulation 13 for that grade or post.
- (o) "Selection Post" means a post declared as such under regulation 5 of these regulations.
- (p) "Services Selection Committee" means the Committee constituted under regulation 12 for the selection of candidates by means of a written test, a trade test and/or interview for appointment to posts reserved for direct recruitment.
- (q) "Temporary Employee" means an employee holding a temporary post or officiating in a permanent post or on probation in his appointment in the service of the Board.

4. MANNER OF APPOINTMENT

All appointments to the posts to which these regulations apply shall be made in accordance with the provisions of these regulations. Appointment may be made either by promotion or by absorption or deputation or direct recruitment. Deputation will be of employees from the major Port, Central Govt., State Govts., autonomous bodies, Govt. Companies fulfilling the criteria of eligibility prescribed for the post. The normal period of deputation is 3 years which is extendable to four years. In exceptional circumstances, this can be extended to five years.

"Provided that the appointment in respect of posts treated as Heads of Department and posts one level below the HoD, all the vacancies shall be

filled by "Composite method of recruitment " i.e. through promotion / transfer / deputation on absorption basis failing which deputation and failing both by direct recruitment. The promotion / transfer on absorption will be from the officers from Major Port Trusts fulfilling the criteria of eligibility prescribed in the schedule annexed to the regulation".

5. SCHEDULES

The manner of appointment i.e. whether by direct recruitment or by departmental promotion or absorption or deputation, the qualification, age, education, training, requirements of experience, classification of posts as selection posts or non – selection posts and other matters connected with the appointments to various posts shall be shown in the Schedule annexed to these Regulations in respect of Class-I posts. In respect of Class-II, Class-III and Class-IV posts the manner of appointment shall be as laid down by the Board from time to time. The Schedule shall also show the authorised permanent and temporary strength of the various grades as shown in the Schedule of Employees prepared under the provisions of Section 23 of the Major Port Trusts Act, 1963. This strength is liable to change from time to time under the provision of Section 27 of the Major Port Trusts Act, 1963. The eligibility requirements prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotion to the extent mentioned in Column 9 of the schedule and requirement of experience for promotion will be as prescribed in Column 12 of the schedule.

Provided that the prescribed upper age limits may be relaxed by the Central Govt. in case of HODs and by Chairman in all other cases for reasons to be recorded in writing for direct recruitment / absorption / deputation as under:-

- (i) upto 5 years where the minimum experience prescribed is 10 yrs. or more and upto 3 yrs where the minimum experience prescribed is 5 to 9 yrs.
- (ii) in the case of a candidate who is an ex-serviceman, i.e. ex-employee of India's Defence Forces, and who has put in not less than 6 months continuous service in the Defence Forces. upto the extent of the service rendered by him in the Defence Forces plus three yrs. where the vacancy to be filled is a vacancy reserved for such ex-servicemen and dependants of those killed in action and upto the extent of the service rendered by him in the Defence Forces, where the vacancy to be filled is an unreserved vacancy; and
- (iii) in the case of a candidate belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes or other Backward Classes in accordance with such orders as the Central Government may issue from time to time in this regard.

Provided further that the requirement of experience is relaxable at the discretion of the Central Govt. in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Govt. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

6. ROSTER OF VACANCIES

A roster shall be maintained for each grade to show whether a particular vacancy should be filled by direct recruitment or promotion. However, if a vacancy which is reserved for direct recruitment cannot be filled by direct recruitment, it may be filled by promotion and the next vacancy shall be filled by direct recruitment. Similar practice can be followed in the case of a vacancy reserved for promotion but cannot be filled by promotion method.

7. RESERVATION

(1) Orders issued by the Central Government from time to time for reservation of posts under it, whether to be filled by direct recruitment or promotion in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall apply mutatis mutandis to all appointments covered by these regulations.

(2) Orders issued by the Central Government from time to time for the reservation of posts under it in favour of other backward classes, ex-servicemen and dependants of those killed in action, Sportsmen and physically handicapped persons shall also apply mutatis mutandis to appointments covered by these regulations and to which direct recruitment is made.

8. NATIONALITY, CHARACTER, PHYSICAL FITNESS ETC. FOR DIRECT RECRUITMENT:

(1) In order to be eligible for direct recruitment to any grade or post, a candidate must be-

- (a) a Citizen of India; or
- (b) a subject of Nepal; or
- (c) a subject of Bhutan; or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

- (e) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to category (a) shall produce such proof of his nationality as the Chairman may, from time to time require. Provided further that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India;

Provided also that a candidate in whose case the proof of nationality or a certificate of eligibility is necessary may be provisionally appointed, pending the production by him of the necessary certificate in his favour from the Central Government, as the case may be. In such cases the provisional appointment shall not exceed a period of one year.

(2) The Chairman may, with the prior approval of the Central Government, modify or waive any of the requirements of sub regulation (1) when an appointment for work of a special nature is to be made and it is not practicable to obtain a suitable candidate who fulfils the requirements of these regulations.

(3) No person,

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

Shall be eligible for appointment to any grade or post to which these regulations apply;

Provided that the Central Govt. in case of HODs and Chairman in all other cases may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this sub regulation.

(4) A candidate must satisfy the appointing authority that his character and antecedents are such as to make him suitable for appointment to any grade or post. No candidate who has been convicted by a Court of Law for an offence involving moral turpitude or who has been adjudged as an insolvent shall be eligible for appointment to a grade or post.

(5) A candidate shall be in good mental and physical health and free from any physical defects likely to interfere with the discharge of his duties as an employee of the Board. A candidate, who after such medical examination as the Central Govt. in case of HODs and Chairman in all other cases may specify, is found not to satisfy those requirements shall not be appointed.

(6) If any question arises whether a candidate does or does not satisfy all or any of the requirements of this regulation, the same shall be decided by the Central Govt. in case of HODs and Chairman in all other cases.

9. ELIGIBILITY OF EXISTING EMPLOYEES FOR DIRECT RECRUITMENT.

When the posts required to be filled by direct recruitment are advertised, employees already in service may also apply, provided they possess the prescribed qualifications and experience. Age limit in such cases will not apply.

10. ADVERTISEMENT OF VACANCIES

(1) Vacancies of Class-III and Class-IV posts to be filled by direct recruitment shall be notified to the local Employment Exchange. In case sufficient number of eligible and suitable candidates are not available, the vacancies be advertised in Newspapers published within the State. Class-I and Class-II posts intended to be filled by direct recruitment shall be advertised in national and local dailies and / or Employment News.

(2) The crucial date for determining the qualification, experience and age shall be the first day of the month in which the post is notified / advertised unless otherwise specified.

11. CONDUCT OF WRITTEN OR SKILL TESTS IN CERTAIN CASES:-

The Appointing Authority may decide whether a written or a skill test or both should be held and also name the officer who should hold the said test and the manner in which the test should be held and other details thereof fit shall be open to the Appointing Authority to engage a consultant or a firm of consultants to conduct a written or skill test.

12. SERVICES SELECTION COMMITTEE:

(1) There shall be a Services Selection Committee for each grade or post, as mentioned in sub regulation (2) to conduct interviews of eligible candidates for making selection of candidates for appointment to different posts by direct recruitment.

(2) The category of posts and the composition of the Services Selection Committees referred to in sub regulation (1) shall be the following, namely;

a) For HODs

- | | |
|--|------------|
| Joint Secretary (Ports) of the Ministry of Shipping | - Chairman |
| Chairman / Dy.Chairman(in absence of Chairman of the Port) | - Member |
| Any other Port Chairman or an officer having wide experience in the field to be nominated by the Ministry of Shipping. | - Member |
| Representative of SC/ST and OBCs nominated by the Ministry of Shipping | - Member |

b) For Class I posts

- | | |
|--|------------|
| i) Chairman / Dy.Chairman | - Chairman |
| ii) Deputy Chairman | - Member |
| iii) HOD in charge of the Department in Which the vacancy occurs | - Member |
| iv) HOD in charge of the Personnel | - Member |
| v) Representative of SC/ST and OBCs nominated by the Chairman | - Member |

c) For Class II posts

- | | |
|---|------------|
| i) Deputy Chairman | - Chairman |
| ii) Head of the Department in which the vacancy arises | - Member |
| iii) Head of the Department in charge of Personnel | - Member |
| iv) Representative of SC/ST and OBCs Nominated by the Chairman. | - Member |

d) For Class-III and Class-IV posts (Common Categories)

- | | |
|--|------------|
| i) Deputy Chairman or in his absence, HOD nominated by the Chairman of the Board | - Chairman |
| ii) HOD in charge of Personnel | - Member |
| iii) A senior officer in the grade not below Rs. 16000-400-20800 to be nominated by the Chairman | - Member |
| iv) Representative of SC/ST and OBCs nominated by the Chairman | - Member |

e) **For Class-III and Class-IV posts (Uncommon Categories)**

- i) HOD, where the vacancy arises - Chairman
- ii) HOD in charge of the Personnel - Member
- iii) A senior officer of the concerned Division
in the grade not below Rs.16000-400-20800
to be nominated by the Chairman. - Member
- iv) Representative of SC/ST and OBCs
nominated by the Chairman - Member

The Appointing Authority may also nominate any person not in the service of the Board to be a member of a Services Selection Committee if such a person is specialised in the relevant field. Where any member of a Services Selection Committee is not available, the Appointing Authority may nominate another officer of appropriate level in his place to attend the meeting.

- (3) Where recruitment to vacancies in grades common to more than one department is made in a common selection, the composition of the committee shall be decided by the Chairman in each case.

13. SELECT LIST

The Services Selection Committee may recommend, in the order of merit, as adjudged by it, the names of the selected candidates to be kept on a select list for consideration of appointment to posts earmarked for direct recruits. Such a list shall be deemed to be valid for a period of 12 months from the date on which the list is approved by the Appointing Authority. It is open to the Appointing Authority to extend the validity of the list for a period not exceeding six months or until a fresh select list is approved whichever is earlier.

14. CONSIDERATION OF RECOMMENDATIONS OF SERVICES SELECTION COMMITTEE AND ADHOC APPOINTMENTS

All appointments by direct recruitment shall be made by the Appointing Authority on the recommendations of the concerned Services Selection Committee.

Provided that it shall be open to the Appointing Authority, for reasons to be recorded in writing, not to accept the recommendations of Services Selection Committee.

Provided further that where the Appointing Authority is an authority subordinate to the Chairman and the authority disagrees with such recommendations in any case, it shall record its reasons for such disagreement and submit the case to the Chairman who shall decide the same.

Provided also that in the case of a purely temporary post, a leave vacancy or a vacancy earmarked for direct recruitment requiring immediate filling up, the Chairman may appoint a person who is eligible to fill the vacant post for a period of six months at a time and not exceeding one year on adhoc basis subject to the condition that:

- 1) Ad-hoc appointment, where unavoidable, should be made only strictly subject to fulfilling the qualifications, experience provided in the RRs.
- 2) Total period of appointment to a temporary post will not exceed the tenure of the post.
- 3) In other cases the temporary appointment should be replaced by a regular appointment from the select list as soon as possible.

15. CANVASSING SUPPORT A DISQUALIFICATION

Any endeavor on the part of a person to canvass support by direct or indirect method for appointment to a post or for promotion to a higher post shall disqualify for the appointment or promotion.

16. SUPPRESSION OF FACTS A DISQUALIFICATION

Any candidate who is found to have knowingly furnished any particulars which are false or have suppressed material information of a character, which if known would ordinarily have debarred him from getting an appointment to a grade or post, is liable to be disqualified, and, if appointed, to be dismissed from service.

17. CANCELLATION OF APPOINTMENT ORDER

If a candidate selected for the post earmarked for direct recruits fails to join duty within the date mentioned in the offer of appointment and where no such date is mentioned, within 30 days of the date of issue of the offer of appointment or within such extended period as the Appointing Authority may agree, the offer of appointment shall be deemed to have been cancelled.

18. PAYMENT OF TRAVELLING ALLOWANCE FOR ATTENDING INTERVIEW

In the case of posts filled by direct recruitment, all journeys which the candidates (including persons already in the service of the Board) may have to perform for the purpose of written and practical tests or interviews shall be at their own cost. However, candidates belonging to Scheduled Castes or the Scheduled Tribes called for written or trade tests or interview shall be granted travelling allowance equal to first class rail fare by shortest practicable route both ways on production of proof to the effect that he has actually performed the inward journey.

19. PROBATION PERIOD

(1) Every person appointed to a post of direct recruitment or promotion or absorption shall, subject to the provisions of sub-regulation (2) and (3), be on probation for a period of two years except in case of persons appointed on absorption basis through composite method of recruitment in the posts of HODs and Dy. HODs carrying the scales of pay of Rs. 16000-400-20800 and above.

Provided that where the appointment itself is for a period specified in the appointment order, such appointment shall stand terminated on the expiry of such period, unless such period is extended by the appointing authority.

Provided that, when the appointment is made by the direct recruitment and the post carries a scale of pay, the maximum of which does not exceed Rs.11,975/-, the period of probation shall be one year.

Provided that, there shall not be any probation in case of appointment by promotion within Class-III and Class-IV grades.

Provided further that, if an employee on probation to a grade or post is appointed to officiate in a higher grade or post, he shall be eligible to count the duration of his appointment to a higher grade or post to complete probation in his lower grade or post. Similarly, if an employee has previously been appointed to officiate in a grade or post, he may on appointment to the similar grade or post on probation will be eligible to count such officiating period (excluding Ad-hoc service) to complete probation in the grade or post.

(2) The period of probation may, if the appointing authority deems fit, be extended for a specific period at a time, but the total period of such extensions shall not, save where any extension is necessary by reason of any

departmental or legal proceedings pending against the employee, exceed one year.

(3) During the period of his probation an employee may be required to undergo such departmental training and pass such departmental tests as the appointing authority may, from time to time, specify in this behalf.

20. CONFIRMATION OF EMPLOYEES ON PROBATION

(1) General

(i) Confirmation will be made only once in the service of an employee which will be in the entry grade.

(ii) Confirmation is delinked from the availability of permanent vacancy in the grade. In other words an officer who has successfully completed the probation may be considered for confirmation.

(2) Confirmation in the grade to which initially recruited

(i) As at present, the appointee should satisfactorily complete the probation.

(ii) The case will be placed before DPC (for confirmation).

(iii) A specified order or confirmation will be issued when the case is cleared from all angles.

(3) On Promotion

(i) If the recruitment rules do not prescribe any probation, an officer promoted on regular basis (after following the prescribed DPC, etc., procedure) will have all the benefits that the person confirmed in that grade would have.

(ii) Where probation is prescribed, the appointing authority will on completion of the prescribed period of probation assess the work and conduct of the officer himself and in case the conclusion is that the officer is fit to hold the higher grade, he will pass an order declaring that the person concerned has successfully completed the probation. If, work of the officer has not been satisfactory or needs to be watched for some more time, he may revert him to the post or grade from which he was promoted, or extend the period of probation as the case may be.

Since there will be no confirmation on promotion before an official is declared to have completed the probation satisfactorily, a rigorous screening of his performance should be made and there should be no hesitation to

revert a person to the post or grade from which he was promoted if the work of the officer during probation has not been satisfactory.

Confirmation of probationers : A person appointed against a permanent post as a direct recruit with definite conditions of probation is to be confirmed in the grade with effect from the date on which he successfully completed the period of probation. The decision whether he should be confirmed or his probation extended should be taken soon after the expiry of the initial probationary period, i.e., ordinarily within 6 to 8 weeks and communicated to the employee together with the reasons in case of extension. Even though the meetings of the DPC may be held after the termination of the period of probation of direct recruits, a person appointed against a permanent post with definite conditions of probation is to be confirmed in the grade with effect from the date on which he successfully completes the period of probation. A probationer who is not making satisfactory progress or who shown himself to be inadequate for the service should be informed of his shortcomings well before the expiry of the original probationary period so that he can make severe efforts at self-improvement.

In the case of probation, the Departmental Promotion Committee should not determine the relative grading of officers but only decide whether there should be declared to have completed the probation satisfactorily. If the performance of any probationer is not satisfactory, the DPC may advise whether the period of probation should be extended or whether he should be discharged from service.

21. DISCHARGE OR REVERSION OF EMPLOYEES ON PROBATION

(1) If an employee on probation in his first appointment is not considered fit, on the basis of his conduct or performance, for confirmation at the end of the period of probation prescribed in regulation 19, he shall be discharged from the service of the Board.

(2) If an employee on probation who holds a lien on a post and does not complete the period of probation as specified under Regulation 19 to the satisfaction of the appointing authority, he may be reverted to the post on which he holds a lien.

(3) If an employee during the period of probation on a post is considered unfit for further retention in that post on the basis of performance or conduct or failure to pass the departmental test if prescribed, he shall be liable to be discharged from service at any time if he has no lien on any post or reverted to the post in which he holds a lien.

22. DEPARTMENTAL TEST FOR PROMOTION, CONFIRMATION IN CERTAIN CASES:

The Chairman may specify, from time to time, the posts, confirmation in or promotion to which shall be subject to the passing of a qualifying departmental test, if any. The Chairman may also specify, from time to time, the details of the qualifying departmental test such as the procedure for holding the test, the syllabus for the test, the intervals at which the test shall be held, the maximum period within which the test shall be passed by the candidates, etc.

23. REVERSION DUE TO FAILURE IN DEPARTMENTAL TEST

An employee promoted to a post shall pass such qualifying departmental test, if any, as may be specified by the Chairman from time to time, within such period, as may be specified by him failing which he employee shall be reverted. When the passing of a test is specified as a condition precedent to promotion to a higher post, no employee shall be considered for promotion to such a post, until he passes the prescribed test.

24. SENIORITY LIST

An up-to-date gradation list indicating the inter-se seniority of the employees shall be maintained for each grade. The list shall indicate separately the permanent and temporary employees in each grade. The list shall be circulated every year.

25. FIXATION OF SENIORITY

(1) The seniority of persons directly recruited to a grade and persons appointed on the basis of departmental promotion shall be assigned inter se seniority according to rotation of vacancies between direct recruits and promotees which shall be based on the quota of vacancies in the grade reserved for direct recruitment and promotion as indicated in the schedule. In cases where exchange of vacancies has been resorted to as per Regulation 6, the seniority will be as per the mode of filling up.

(2) Direct recruits shall be ranked inter-se in the order of merit in which they are placed in the select list on the basis of their performance in the examination or interview or both, the recruits of an earlier select list being ranked senior to those of a later select list.

(3) Persons appointed against promotion quota of vacancies shall be ranked inter-se according to the order in which they are approved for promotion by the Departmental Promotion Committee.

- (4) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) to (3) above, the seniority already determined prior to the commencement of these regulations shall remain unaffected.

26. DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE

- (1) There shall be a Departmental Promotion Committee for each grade or post to recommend a panel of employees for appointment to different posts by promotion in accordance with these regulations.
- (2) The composition of the Departmental Promotion Committee will be the same as that of the Services Selection Committee as laid down in Regulation 12 and the validity of the panel shall be the same as mentioned in Regulation 13.

27. FIELD OF SELECTION FOR PROMOTION

- (1) Where one or more posts in a grade are required to be filled by promotion through selection method from employees holding posts in the feeder grade in accordance with the prescribed recruitment rules employees holding the eligible posts and having the prescribed qualifications and experience for promotion shall be considered for promotion if they fall within the zone of consideration.
- (2) The following procedure shall be observed while recommending employees for promotion through selection method:
- a) The Departmental Promotion Committee (DPC) shall determine the merit of those being assessed for promotion with reference to the prescribed benchmark and accordingly grade the officers as 'fit' or 'unfit'. Only those who are graded 'fit' by the DPC shall be included and arranged in the select list in order of their inter se seniority in the feeder grade. Those Officers who are graded as 'unfit' by the DPC shall not be included in the select list.
 - b) The Departmental Promotion Committee shall also consider the cases of eligible employees who are on foreign service or on study leave.
 - c) The instructions issued by the Govt. from time to time on procedure to be followed in DPC proceedings in respect of Govt. servants shall mutatis mutandis apply.

Note:- For absorption to the post carrying pay scale of Rs.16000-400-20800 and above and for which composite method of recruitment is adopted, the benchmark in the overall grading shall be 'Very Good'. In all other cases, the benchmark shall be "Good".

(3) For promotion to non-selection posts, where no bench mark is specified, the criteria for selection shall be seniority-cum-fitness.

28. ADHOC APPOINTMENTS

In case of immediate necessity when a panel recommended by the Departmental Promotion Committee has been used up, the appointing authority may make a purely adhoc appointment to a post, by appointing the senior most eligible and suitable employee in the feeder grade or post up to a period of six months at a time and not exceeding one year or till a new panel is recommended by the Departmental Promotion Committee whichever is earlier. The ad-hoc appointment, where unavoidable, should be made only strictly subject to fulfilling the qualifications, experience provided in the RRs.

29. COMPASSIONATE APPOINTMENTS

Notwithstanding anything contained in these regulations, the Chairman may dispense with the normal procedure of recruitment prescribed in these regulations and appoint to a Class-III or Class-IV post the legitimate son or daughter or the surviving spouse of an employee of the board, who dies while in service, if the person to be so appointed possesses the prescribed qualifications and experience and is otherwise found suitable.

30. INTERPRETATION

In the application of these Regulations all the instructions of the Central Government as amended from time to time which are not contrary to any of the provisions of these Regulations and all instructions issued from time to time by the Central Government which cover matters not specifically covered will be followed.

Where a doubt arises as to the interpretation of any of these regulations, the matter shall be referred to the Chairman for a decision.

31. REPEAL AND SAVINGS

All the regulations, procedures, practices and customs corresponding to these regulations and in force immediately before the commencement of these regulations are hereby repealed.

Provided that any order made or action taken under the regulations, procedures, practices and customs so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations.

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational (c) Qualifications for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption / deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation/grades from which threshold bar/break	Remarks
1	Secretary	1	Class-I (HOD)	20500-500-28500	Selection	45	Essential:- (i) A degree from a recognised university. (ii) Seventeen years experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking. Desirable:- Post Graduate degree/diploma in Personnel Management/Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognised university/institution.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Secretary in Category-I posts with two years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 17800-22200 with 4 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 18000-20800 with 5 years regular service in the grade in the regular service in the grade in the General Administration/Personnel/Industrial Relations Dept. of a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or post of Secretary and equivalent posts in GAD/IRD in the scale of pay of Rs. 18000-22200 with 2 years regular service in the grade or officers holding post of Sr.Dy. Secretary and equivalent posts in GAD/IRD in the scale of pay of Rs. 18000-20800 and above with 5 years regular service in the grade in Govt./Semi Govt./PSUs or Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACIs will not be below 'very good'.	13

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classif. cation	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which list should be made	Remarks
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Senior Deputy Secretary	1	Class-I	18000-400-20800	Selection	42	Essential :- (i) A degree from a recognised university. (ii) Twelve years experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking. Desirable :- Post Graduate degree/diploma in Personnel Management/Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognised university/institution.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation from other Govt. organisations and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Dy. Secretary and equivalent posts in the respective discipline of GAD (such as CPROI, Dy. Estate Manager/Dy. Chief Law Officer/Personnel Officer) in the scale of pay of Rs. 13000-18250 with 3 years service in the grade in a Major Port Trust or Deputy Secretary and equivalent posts in the respective discipline of GAD with 2 years service in the grade and a combined service of 7 years in the scale of pay of Rs. 10750-16780 and Rs. 13000-18250 in the respective discipline of GAD in a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or post of Dy. Secretary and equivalent posts in the respective discipline of GAD in the scale of pay of Rs. 13000-18250 in Govt. /Semi Govt. / PSUs or Autonomous Bodies with 3 years service in the grade will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Deputy Secretary	1	Class-I	13000-350-18250	Selection	40	Essential :- (i) A degree from a recognised university. (ii) Nine years experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking. Desirable :- Post Graduate degree/diploma in Personnel Management/Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognised university/institution.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion failing which by absorption / deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Sr. Assistant Secretary in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade failing which Sr. Assistant Secretary (such as PRO/ Sr. Asstt. Estate Manager/Sr. Law Officer/Dy. Personnel Officer/ Sr. Welfare Officer) in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 2 years service in the grade and a combined service of 9 years in the scales of pay of Rs. 10750-16750 & Rs. 9100-15100 in the respective discipline of General Admn. Deptt. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or post of Sr. Assistant Secretary in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade in a Major Port Trust	
4	Deputy Estate Manager	1	Class-I	13000-350-18250	Selection	40	Essential :- Degree with a Post Graduate degree / diploma in Architecture / Town and Country Planning or degree in Civil Engineering from a recognised university / institution or corporate membership of Institution of Surveyor (India). (ii) Eleven years executive experience in Estate Management, Valuation or Land Records in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking. Desirable :- (i) A degree in Law from a recognised university.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion failing which by absorption/deputation failing both by direct recruitment.	Promotion from Sr. Assistant Estate Manager in the scale of pay Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade failing which Sr. Assistant Estate Manager in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 2 years service in the grade and a combined service of 9 years in the scales of pay of Rs. 10750-16750 & Rs. 9100-15100 in the discipline of Estate Div. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or Sr. Assistant Estate Manager or equivalent posts in the discipline of Estate Div. in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade in a Major Port Trust.	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Personnel Officer	1	Class-I	13000-350-18250	Selection	40	Essential :- (i) Degree from a recognised university/Institution. (ii) Nine years experience in executive cadre in the field of General Administration, personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/commercial/Govt. Undertaking. Desirable :- Post Graduate degree/diploma in Personnel Management/Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognised university/institution.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Dy. Personnel Officer /Sr. Welfare Officer in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade failing which Dy. Personnel Officer /Sr. Welfare Officer with 2 years service in the grade and a combined service of 8 years in the scales of pay of Rs. 10750-16750 & Rs. 9100-15100 in the respective discipline of Pers. & I.R. Div. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or Dy. Personnel Officer /Sr. Welfare Officer or equivalent posts in the respective discipline of Pers. & I.R. Div. in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade in a Major Port Trust.	
6	Sr. PS to Chairman	1	Class-I	13000-350-18250	Selection	40	Essential :- (i) A degree from a recognised university. (ii) Proficiency in stenography and typewriting with a speed of 120/40 w.p.m. respectively (iii) Knowledge of Computer Application. (iv) Twelve years experience as stenographer/PA in an Industrial / Commercial/ Govt Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from PS to CH in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade failing which PS to CH with 2 years service in the scale of pay of Rs. 10750-16750 and a combined service of 8 years in the scales of pay of Rs. 10750-16750 & Rs. 9100-15100. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous post or holding posts of PS/Sr. PS in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade in a Major Port.	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
7	Senior Assistant Secretary	1	Class-I	10750-300-16750	Selection	35	Essential :- (i) A degree from a recognised university (ii) Five years experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking. Desirable :- Post Graduate degree/diploma in Personnel Management/Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognised university/institution.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Assistant Secretary Gr-I in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years service in the grade failing which Assistant Secretary Gr-I in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 2 years service in the grade and a combined service of 8 years in the scales of pay of Rs. 9100-15100 & Rs. 8600-14600 in the respective discipline of General Admin. Deptt. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or post of Asstt. Secretary (Gr-I) in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years service in the grade in a Major Port Trust.	13
8	Senior Assistant Estate Manager	1	Class-I	10750-300-16750	Selection	35	Essential :- Degree with a Post Graduate degree / diploma in Architecture / Town and Country Planning or degree in Civil Engineering from a recognised university / institution or corporate membership of Institution of Surveyor (India). (ii) Seven years executive experience in Estate Management, Valuation or Land Records in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking. Desirable :- (i) A degree in Law from a recognised university.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Assistant Estate Manager Gr-I in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years service in the grade failing which Assistant Estate Manager Gr-I in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 2 years service in the grade and a combined service of 8 years in the scales of pay of Rs. 9100-15100 & Rs. 8600-14600 in the discipline of Estate Div. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or Assistant Estate Manager Gr-I in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years service in the grade in a Major Port Trust.	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
9	Deputy Personnel Officer	1	Class-I	10750-300-16750	Selection	35	Essential :- (i) Degree from a recognised university/institution. (ii) Five years experience in executive cadre in the field of General Administration, personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking. Desirable :- Post Graduate degree/diploma in Personnel Management/Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognised university/institution.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion falling which by absorption/deputation, falling both by direct recruitment.	Promotion from Assistant Personnel Officer Gr-I / PRO / Asstt. Secretary/Labour Officer in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years service in the grade falling which Assistant Personnel Officer Gr-I in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 2 years service in the grade and a combined service of 9 years in the scales of pay of Rs. 9100-15100 & Rs. 8600-14600 in the respective discipline of Pers. & I.R. Div. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or Asstt. Personnel Officer (Gr-I) or equivalent posts in the respective discipline of Pers. & I.R. Div. in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years service in the grade in a Major Port Trust.	
10	PS to CH.	1	Class-I	10750-300-16750	Selection	35	Essential :- (i) A degree from a recognised university. (ii) Proficiency in stenography and typewriting with a speed of 120/40 w.p.m. respectively (iii) Knowledge of Computer Application. (iv) Eight years experience as stenographer/PA in an Industrial / Commercial/ Govt Undertaking	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion falling which by absorption / deputation, falling both by direct recruitment.	Promotion from PS to Dy. CH in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years service in the grade falling which PS to Dy. CH with 2 years service in the scale of pay of Rs. 9100-15100 and a combined service of 8 years in the scales of pay of Rs. 9100-15100 & Rs. 8600-14600. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous post or feeder post with 5 years service in the grade in a Major Port.	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Assistant Secretary Gr-I	1	Class-I	9100-250-15100	Selection	30	Essential :- A degree from a recognised university. Desirable :- (i) Post Graduate degree/diploma in Personnel Management/Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognised university/institution. (ii) Two years experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking. Essential :- Degree in Law from a recognised university. Desirable :- 1) Should be a practising lawyer of not less than 7 yrs. standing or 2) Should be a graduate of Law and entitled to be on roll as advocate. ii. Should have worked in legal division for not less than 3 yrs. in a Govt. / Public Sector Undertaking / Autonomous body.	(a) No (b) Yes (c) No	2	Upto 31st Dec., 2008 By direct recruitment - 33.1/3% By promotion - 66.2/3% After 31st Dec., 2008 By direct recruitment - 66.2/3% By promotion - 33.1/3%	Promotion from Office Superintendent in the scale of pay of Rs. 6170-11975 in the respective discipline or G.A.D. with 5 years service in the grade.	
12	Law Officer Gr-I	1	Class-I	9100-250-15100	Selection	40		(a) No (b) Yes (c) No	2	Upto 31st Dec., 2008 By direct recruitment - 33.1/3% By promotion - 66.2/3% After 31st Dec., 2008 By direct recruitment - 66.2/3% By promotion - 33.1/3%	Promotion from legal assistant in the scale of Rs. 6170-11975 with 5 yrs. service in the grade.	

S. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (In years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (In years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which should be made	Remarks
13	Assistant Estate Manager G-II	1	Class-I	9100-2800 15100	Selection	30	Essential : Degree with a Post Graduate degree / diploma in Architecture / Town and Country Planning or degree in Civil Engineering from a recognised university / institution or corporate membership of Institution of Surveyor (India). Desirable : (i) A degree in Law from a recognised university. (ii) Two years executive experience in Estate Management, Valuation or Land Records in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) No, however Diploma from a recognised University/Institution is essential. (c) No	2	Upto 31st Dec. 2009 By direct recruitment - 33.1/3% After 31st Dec. 2009 By direct recruitment - 66.2/3% By promotion - 33.1/3%	Promotion from Assistant Estate Manager G-II in the scale of pay of Rs. 8800-14800 with 3 years service in the grade.	
14	P8 to Dy. CH.	1	Class-I	9100-2800 15100	Selection	30	Essential : (i) A degree from a recognised university. (ii) Proficiency in stenography and typewriting with a speed of 120/40 w.p.m. respectively. (iii) Knowledge of Computer Application. (iv) Five years experience as stenographer/PA in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.	(a) No (b) No (c) No	2	By Promotion falling which by absorption/deputation, falling below direct recruitment.	Promotion from PA to HOD / P8 to Dy. Chairman in the scale of pay of Rs. 8800-14800 with 3 years service in the grade. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous post or feeder post with 3 years service in the grade in a Major Port.	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	Head Officer	1	Case-I	Rs. 9100-250-18000	Selection	40 years.	Essential : (a) Master's degree of a recognised university in Hindi with English as a subject at degree level OR Master's degree of a recognised university in English with Hindi as a subject at the degree level OR Master's degree of a recognised university in any subject with Hindi and English as subjects at the degree level OR Master's degree of a recognised university in any subject with Hindi medium and English as a subject at degree level. (b) Experience : Five years experience of linguistic-logical work in Hindi and or translation work from English to Hindi or vice versa, preferably of technical or scientific literature OR Five years experience of Hindi teaching Scheme of the Ministry of Home Affairs, Govt. of India, research, writing of Journalism in Hindi. (c) Desirable : Experience of Organising Hindi classes or workshops for noting and drafting or Journalism in Hindi.	(a) No. (b) Yes (c) Yes		1. 31/12/2008 By direct recruitment 33.15% By promotion 66.25% 2. 31/12/2008 By direct recruitment 66.25% By promotion 33.15%	Promotion from Senior Hindi Translator with five years service in the scale of Rs. 6170-11975.		

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection Post	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1		3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
17	Financial Advisor & Chief Accounts Officer	1	Class-I (HOD)	20500-500-26500	Selection	45	Essential :- (i) Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India. (ii) Seventeen years experience in executive cadre in the field of finance, accounting in an industrial/commercial/ Govt Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through composite method falling which by deputation and falling both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of FA/CAO in Category-II posts with two years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 17500-22500 with 4 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 18000-20000 with 5 years regular service in the grade in the Finance Dept. of a Major Port. That will be eligible for deputation. Officers holding analogous posts or officers holding posts of FA & CAO and equivalent posts in the Finance Dept. in the scale of pay of Rs. 18000-20000 with 2 years regular service in the grade or officers holding posts of Sr. Dy. Chief Accounts Officers and equivalent posts in the Finance Department in the scale of pay of Rs. 18000-20000 and above with 3 years regular service in the grade in Govt. Govt. or Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the AC/As will not be below "very good".	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
									10	11	12	13
18	Senior Deputy Chief Accounts Officer	1	Class-I	16000-400-20800	Selection	42	Essential:- (i) Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India (ii) Twelve years experience in executive cadre in the field of finance, accounting in an industrial/commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through composite method, Officers holding analogous posts or Dy. Chief Accounts Officer and equivalent posts in respective discipline of Finance Deptt. in the scale of pay of Rs. 13000-16250 with 3 years service in the grade Rs. 13000-16250 in a Major Port Trust or Dy. Chief Accounts Officer and equivalent posts in respective discipline of Finance Deptt. with 2 years service in the grade and a combined service of 7 years in the scale of pay of Rs. 10750-16750 and Rs. 13000-16250 in the respective discipline of Finance Deptt. in a Major Port Trust will be eligible. For deputation Officers holding analogous posts or holding posts of Dy. Chief Accounts Officer and equivalent posts in respective discipline of Finance Deptt. in the scale of pay of Rs. 13000-16250 in Govt./Semi-Govt./PSUs or Autonomous Bodies with 3 years regular service in the grade will be eligible. The selection is by merit which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "very good".	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or Dy. Chief Accounts Officer and equivalent posts in respective discipline of Finance Deptt. in the scale of pay of Rs. 13000-16250 with 3 years service in the grade Rs. 13000-16250 in a Major Port Trust or Dy. Chief Accounts Officer and equivalent posts in respective discipline of Finance Deptt. with 2 years service in the grade and a combined service of 7 years in the scale of pay of Rs. 10750-16750 and Rs. 13000-16250 in the respective discipline of Finance Deptt. in a Major Port Trust will be eligible. For deputation Officers holding analogous posts or holding posts of Dy. Chief Accounts Officer and equivalent posts in respective discipline of Finance Deptt. in the scale of pay of Rs. 13000-16250 in Govt./Semi-Govt./PSUs or Autonomous Bodies with 3 years regular service in the grade will be eligible. The selection is by merit which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "very good".	
19	Deputy Chief Accounts Officer	1	Class-I	13000-350-16250	Selection	40	Essential:- (i) Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India (ii) Nine years experience in executive cadre in the field of finance, accounting in an industrial/commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) No, however a degree from a recognised university is essential. (c) No	2	By Promotion falling which by absorption/deputation, falling both by direct recruitment.	Promotion from Sr. Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade falling which Sr. Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 2 years service in the grade and a combined service of 9 years in the scale of pay of Rs. 10750-16750 and Rs. 9100-15100 in the respective discipline of Finance Deptt. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or post of Sr. Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade in a Major Port Trust.	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which list should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Senior Deputy Director (EDP)	1	Class-I	13000-350-18250	Selection	40	Essential:- Degree in Computer Engineering/ Computer Sciences from a recognised university/institution. or Degree in Maths / Statistics/Operational Research /Economics with Post Graduate Diploma in ComputerApplication /Computer Science /Information Technology from a recognised university /institution. or Degree in Engineering with Post Graduate Diploma in Computer Application /Computer Science /Information Technology from a recognised university /institution. ii. Nine yrs. experience in Programming / Electronic Data Processing / System Design and Analysis and related fields. Desirable:- i. Post Graduate Degree in Maths /Statistics /Operational Research /Economics or Post Graduate degree in Computer Science or Computer Engineering or Systems or Information Systems or MIS or InformationTechnology or Computer Applications or Business Admin. (PG degree/ diploma) with specialisation in Systems or Information Systems or MIS or InformationTechnology and allied subjects from a recognised university institution.	a) No b) Yes c) No	2	By Promotion failing with by absorption / deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Deputy Director(EDP) in the scale of pay Rs. 10750-16750 with 4 yrs. service in the grade failing which Deputy Director (EDP) in the scale of Pay of Rs. 10750-16750 with 2 yrs. service in the grade and a combined service of 9 yrs. in the scales of pay of Rs. 10750-16750 and Rs. 9100-15100 in the respective discipline of P&R Div. Absorption /deputation will be of Officers holding analogous posts or Deputy Director (EDP)/Deputy Director (Research) and other equivalent posts in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 yrs. service in the grade in P&R Division in a Major Port Trust.	

Note : (*) Post may mention here the designation of the posts, if it is different from it.

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Senior Accounts Officer	2	Class-I	10750-300-16750	Selection	35	Essential :- Member of Institute of Chartered Accountants of India or Institute of Cost and Works Accountants of India. 9/15 years experience in Executive cadre in the field of Finance, Accounting in an Industrial/Commercial/ Govt Undertaking.	(a) No (b) No, however a degree from a recognised university is essential. (c) No	2	By Promotion falling which by absorption/deputation, falling both by direct recruitment.	Promotion from Accounts Officer Gr-I in the scale of pay of Rs.9100-15100 with 5 years' service in the grade falling which Accounts Officer Gr-I in the scale of pay of Rs.9100-15100 with 2 years' service in the grade and a combined service of 5 years in the scales of pay of Rs.9100-15100 and Rs. 5500-10000 in respective discipline of Finance/Deptt. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or post of Accounts Officer Gr-I in the scale of pay of Rs.9100-15100 with 5 years' service in the grade in a Major Port Trust.	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption / deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades framework to be followed	Remarks	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Deputy Director (Library)	1	Class-I	10750-300-16750	Selection	35	Essential: Degree in Computer Engineering/Computer Sciences from a recognised university institution. or Degree in Maths / Statistics/Operational Research / Economics with Post Graduate Diploma in Computer Application / Computer Science / Information Technology from a recognised university institution. or Degree in Engineering with Post Graduate Diploma in Computer Application / Computer Science / Information Technology from a recognised university institution. or 4 yrs. experience in Programming / Systems / Data Processing / System Analysis / Design and related fields. or Post Graduate Degree in Maths / Statistics / Operational Research / Economics or Post Graduate degree in Computer Science or Computer Engineering or Systems or Information Systems or Information Systems or MIS Applications or Business Admin. (PG degree/diploma) with specialisation in Systems or Information Systems or MIS or Information Technology and allied subjects from a recognised university institution.	a) No b) Yes c) No	2	By Promotion falling with by absorption / deputation, falling both by direct recruitment.	Promotion from Assistant Director (EDP) / System Analyst Programmer in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 yrs. service in the grade falling which Asst. Director (EDP) / System Analyst Programmer in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 2 yrs. service in the grade and a combined service of 8 yrs. in the scales of pay of Rs. 9100-15100 and Rs. 8800-14000 in the respective discipline/PAER division.	Absorption / deputation shall be of Assistant Director (EDP) / Assistant Director (Research) and other equivalent posts in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 yrs. service in the grade in the discipline of a Major/Port Trust.	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Accounts Officer Gr-I	2	Class-I	9100-2500 15100	Selection	30	Essential :- Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India. Desirable :- Two years experience in Executive cadre in the field of Finance, Accounting in an Industrial/Commercial Govt. Undertaking.	(a) No (b) No, however a degree from a recognised university is essential. (c) No	2	Up to 31st Dec., 2008 By direct recruitment - 33.1/3% By promotion - 66.2/3% After 31st Dec., 2008 By direct recruitment - 66.2/3% By promotion - 33.1/3%	Promotion from Accounts Officer Gr.II / A.A.O. in the scale of pay of Rs. 8600-14600 with 3 years service in the grade.	

Sl. No.	Name of the Post	No of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/transfer	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/transfer)	In case of promotional absorption/absorption/transfer/transfer	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Assistant Director (Research)	1	Class-I	9100-250-15100	Selection	30	Essential: Degree in Economics or Statistics or Mathematics from a recognised university / institution. Desirable: i. Two years executive experience in collection, compilation, and interpretation of data or in conducting field surveys, investigations etc. ii. Knowledge of computer operations. iii. Post Graduate degree / diploma in Economics or Statistics or Mathematics or Operational Research and allied subjects from a recognised university / institution.	a) No b) Yes c) No	2	1989-218-Div. 2008 By direct recruitment - 33.1/3% By promotion - 66.2/3% 1989-218-Div. 2008 By direct recruitment - 66.2/3% By promotion - 33.1/3%	Promotion from Statistical and Research Officer in the scale of pay of Rs. 8800-14000 with 5 years service in the grade.	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Assistant Director (EDP)	1	Class-I	9100-260 15100	Selection	30	Essential: Degree in Computer Engineering / Computer Sciences from a recognised university / institution. Or Degree in Maths/Statistics/Operational Research/Economics with Post Graduate Diploma in Computer Application/Computer Science/Information Technology from a recognised university/institution. or Degree in Engineering with Post Graduate Diploma in Computer Application / Computer Science / Information Technology from a recognised university / institution. Desirable: Post Graduate Degree in Maths /Statistics /Operational Research /Economics or Post Graduate Degree in Computer Science or Computer Engineering or Systems or Information Systems or MIS or Information Technology or Computer Applications or Business Admin. (PG degree/diploma) with specialisation in Systems or Information Systems or MIS or information Technology and allied subjects from a recognised university /institution. It. Two years experience in Programming / Electronic Data Processing / Systems Analysis, etc.	a) No b) Yes c) No	2	Upto 31st Dec., 2008 By direct recruitment - 33.1/3% By promotion - 66.2/3% After 31st Dec., 2008 By direct recruitment - 66.2/3% By promotion - 33.1/3%	Promotion from Programmer / Data Processing Officer in the scale of pay of Rs. 8800-14600 with 3 yrs. service in the grade.	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Chief Mechanical Engineer	1	Class-I	20500-500-26500	Selection	45	Essential:- (i) Degree or equivalent in Mechanical/Electrical /Electronics & Communication Engineering/Naval Architecture from a recognised university/institution or MOT 1st class Motor certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958. (ii) Seventeen years experience in managerial capacity dealing with Mechanical/ Electrical/ Marine/ Electronics Engg. works, out of which 10 years experience shall be in workshops undertaking maintenance of cargo handling equipment/electrical installation/ship repairs in any Major Port/Trust / Industrial /Commercial /Govt. undertaking	(a) No (b) Yes (c) No	NA	By absorption through Composite method falling both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Chief Mechanical Engineer in Category II ports with 2 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.17500-22300 with 4 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.18000-20800 with 5 years regular service in the grade in the Chief Mech. & Elec. Engg. Deptt. and Marine Deptt. (applicable to categories of marine engineers only) in a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or officers holding post of Dy. Chief Mechanical Engineer and equivalent posts in the Mech. & Elec. Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs.18500-23900 with 2 years regular service in the grade or officers holding post of Dy. Chief Mechanical Engineer and equivalent posts in the Mech. & Elec. Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs.18000-20800 and above with 5 years regular service in the grade in Govt. / PSUs or Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "very good".	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Deputy Chief Mechanical Engineer	1	Class-I	18000-400-20800	Selection	42	Essential:- (i) Degree or equivalent in Mechanical/Electrical/Electronic/Communication Engineering from a recognised university / institution. (ii) Twelve years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial / Commercial / Govt. undertaking	(a) No (b) Yes (c) No	NA	By absorption through Composite method failing which by deputation from other Govt. organisations and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of M&E Engg. Dept. in the scale of pay of Rs. 13000-18250 with 3 years service in the grade in the respective discipline in a Major Part Trust or Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of M&E Engg. Dept. with 2 years service in the grade and a completed service of 7 years in the scale of pay of Rs. 10750-16750 and Rs. 13000-18250 in the respective discipline in a Major Part Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or officers holding posts of Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of M&E Engg. Dept. in the scale of pay of Rs. 13000-18250 with 3 years service in the grade in the respective discipline in Govt./PSUs/Autonomous bodies etc. will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the AC/Rs will not be below "very good".	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (In years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption / deputation)	In case of promotion/ absorption/ deputation grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Superintending Engineer (Mechanical/ Electrical/ M & E)	2	Class-I	13000-350-18250	Selection	40	Essential:- (i) Degree or equivalent in Mechanical/ Electrical/ Electronics & Communication Engineering from a recognised university / institution. (ii) Nine years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial / Govt. undertaking.	(a) No (b) No, however a Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognised university / institution is essential. (c) No	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Executive Engineer in the scale of pay of Rs.10750-16750 with 4 years service in the grade failing which Executive Engineer in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 2 years service in the grade and a combined service of 9 years in the scales of pay of Rs. 10750-16750 and Rs. 9100-15100 in the respective discipline in the M&E Engg. Deptt. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or the feeder post with 4 years service in the grade in a Major Port Trust.	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classifi- cation	Scale of pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limite for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for directrecruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption / deputation)	In case of promotion/ absorption/ deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Executive Engineer (Mechanical / Electrical / E & M)	3	Class-I	10750-300-16750	Selection	35	Essential : (i) Degree or equivalent in Mechanical/Electrical/ Electronics & Communication Engineering from a recognised university / institution. (ii) Five years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial / Commercial / Govt. undertaking.	(a) No (b) No, however a Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognised university / institution is essential. (c) No	2	By Promotion falling which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Assistant Executive Engineer in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years service in the grade falling which Assistant Executive Engineer in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 2 years service in the grade and a combined service of 8 years in the scale of pay of Rs. 9100-15100 & Rs. 8600-14600 in the respective discipline of M&E Engrg. Deptt. OR Diploma Engineers in the scale of pay of Rs. 8600-14600 with 8 years of service in the grade where the pay scale of Rs. 9100-15100 does not exist in that discipline. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts in respective discipline or feeder post with 5 years service in the grade in a Major Post/Trust.	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (In years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (In years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	DEPUTY MATERIALS MANAGER	1	Class-I	10750-300-16750	Selection	35	Essential :- (i) Degree or equivalent in Mechanical / Electrical/Civil Engineering from a recognised university/institution. (ii) Five years experience in Executive Cadre in the field of Materials Management / Mechanical Engineering / Electrical Engineering in industrial / Commercial / Govt. Undertaking. Desirable :- (i) Post Graduate Degree/Diploma in Materials Management from recognised university/institution.	(a) No (b) No, however a Diploma in relevant discipline from a recognised University / Institution is essential. (c) No	2	By promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Asstt. Materials Manager Grade-I in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years service in the grade failing which Asstt. Executive Engineer (Mech./Elect./Civl) in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years service in the grade failing both Asstt. Materials Manager Grade-I / Asstt. Executive Engineer (Mech./Elect./Civl) in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 2 years service in the grade and a combined service of 8 years in the scales of pay of Rs. 9100-15100 & Rs. 8600-14600 in the respective discipline of M.M. Div./M&E Engrg. Deptt. OR Diploma Engineers in the scale of pay of Rs. 8600-14600 with 8 years service in the grade where the pay scale of Rs. 9100-15100 does not exist in that discipline. Absorption/deputation will be of officers holding analogous posts or feeder post with 5 years service in the grade in a Major Port Trust.	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Assistant Executive Engineer (Mechanical / Electrical)	4	Class-I	9100-250-15100	Selection	30	Essential: Degree or equivalent in Mechanical/Electrical /Electronics & Communication Engineering from a recognised university / institution. Desirable: Two years experience in relevant discipline in executive cadre in an industrial / Commercial / Govt. undertaking	(a) No (b) No, however a Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognised university / institution is essential. (c) No	2	Up to 31st Dec., 2008 By direct recruitment-33.1/3% By promotion-66.2/3% After 31st Dec., 2008 By direct recruitment-66.2/3% By promotion-33.1/3%.	Promotion from Assistant Engineer (Mech./Elect./Electronic/Instrumentation) in the scale of pay of Rs. 8000-14000 with 3 years service in the grade.	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which fitment be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ASSISTANT MATERIALS MANAGER - GRADE-I	1	Class-I	9100-2500 15100	Selection	30	Essential :- Degree or equivalent in Mechanical/Electrical/Civil Engineering from a recognised university/institution. Desirable :- (i) Post Graduate Degree/Diploma in Materials Management from a recognised university/institution. (ii) Two years post qualification experience in Materials Management in an industrial/commercial / Govt. undertaking.	(a) No (b) No, however a Diploma in relevant discipline from a recognised University / Institution is essential. (c) No	2	Until 31st Dec., 2008 By direct recruitment-33.1/3% By promotion-66.2/3% After 31st Dec., 2008 By direct recruitment-66.2/3% By promotion-33.1/3%.	Promotion from Assistant Engineer (S&I), APO, Asstt. Materials Manager Gr.II in the scale of pay of Rs.8600-14600 with 3 years service in the grade	

(S)	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Traffic Manager	1	Class-I (HOD)	20500-500-26500	Selection	45	i) A degree from a recognised university. ii) Seventeen years experience in shipping/cargo operations/ railway transportation in executive cadre in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes. (c) No	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Traffic Manager in Category-II posts with 2 years regular service or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 17500-22300 with 4 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 16000-20800 with 5 years regular service in the grade in the Traffic Deptt. of a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or officers holding post of Traffic Manager and equivalent posts in the scale of pay of Rs. 18000-23800 with 2 years regular service in the grade or officers holding post of Sr. Dy. Traffic Manager and equivalent posts in Traffic Deptt. in the scale of pay of Rs. 16000-20800 and above with 5 years regular service in the grade in Govt./Semi Govt./PSUs or Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below 'very good'.	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	Senior Deputy Traffic Manager	1	Class-I	16000-400-20800	Selection	42	i) A degree from a recognised university. (ii) Twelve years experience in shipping/cargo operations/ railway transportation in executive cadre in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation from other Govt. organisations and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method. Officers holding analogous posts or post of Dy. Traffic Manager and equivalent posts in the respective discipline of Traffic Deptt. in the scale of pay of Rs. 13000-18250 with 3 years service in the grade in a Major Port Trust or Deputy Traffic Manager and equivalent post in the respective discipline of Traffic Deptt. with 2 years' service in the grade and a combined service of 7 years in the scales of pay of Rs. 10750-16750 and Rs. 13000-18250 in the respective discipline of Traffic Deptt. in a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or holding post of Dy. Traffic Manager and equivalent post in the respective discipline of Traffic Deptt. in the scale of pay of Rs. 13000-18250 in Govt./Semi-Govt./PSUs or Autonomous Bodies with 3 years service in the grade will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "very good".	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (In years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which list should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	Deputy Traffic Manager	1	Class-I	13000-350-18250	Selection	40	i) A degree from a recognised university. (ii) Nine years experience in shipping/cargo operations/ railway transportation in executive cadre in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion falling within by absorption/deputation, falling both by direct recruitment.	Promotion from Sr. Assistant Traffic Manager in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade falling within Sr. Assistant Traffic Manager in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with two years service in the grade and a combined service of 9 years in the scale of pay of Rs. 10750-16750 & Rs. 9100-15100 in the respective discipline of traffic dept. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or post of Sr. Assistant Traffic Manager in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade in a Major Port Trust.	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	Senior Assistant Traffic Manager	1	Class-I	10750-300-16750	Selection	35	I) A degree from a recognised university. (II) Five years experience in shipping/cargo operations/ railway transportation in executive cadre in an industrial/ Commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Assistant Traffic Manager Gr-I in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years service in the grade failing which Assistant Traffic Manager Gr-I in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 2 years service in the grade and a combined service of 8 years in the scales of pay of Rs. 9100-15100 & Rs. 8900-14900 in the respective discipline of Traffic Deptt.. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or post of Assistant Traffic Manager Gr-I in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years service in the grade in a Major Port Trust.		

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Assistant Traffic Manager Gr-I	3	Class-I	9100-2500 15100	Selection	30	Essential:- i) A degree from a recognised university. Desirable:- Two years executive experience in shipping/cargo operations/ railway transportation in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	2	Upto 31st Dec., 2008 By direct recruitment - 33.1/3% By promotion - 66.2/3% After 31st Dec., 2008 By direct recruitment - 66.2/3% By promotion - 33.1/3%	Promotion from Assistant Traffic Manager Gr-II in the scale of pay of Rs. 8000-14800 with 3 years service in the grade.	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Chief Engineer	1	Class-I (HOD)	20500-500-28500	Selection	45	(i) Degree or equivalent in Civil Engg. from a recognised University / Institution. (ii) Seventeen years experience in executive cadre in Planning / Construction / Design / Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through Composite method failing which by deputation failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or post of Chief Engineer in Category II posts with two years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 17500-22300 with 4 years regular service in the grade or Officers holding posts in the scale of pay of Rs. 16000-20800 with 5 years regular service in the grade in the Civil Engineering Deptt. of a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or officers holding post of Chief Engineer and equivalent post in Civil Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs. 18500-23900 with 2 years regular service in the grade or Officers holding post of Dy. Chief Engineer and equivalent post in Civil Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs. 16000-20800 and above with 5 years regular service in the grade in Govt./Semi-Govt./PSUs /Autonomous bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in over all grading in the ACRs will not be below "very good".	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classi- cation	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Dy. Chief Engineer (Civil)	2	Class-I	16000-400-20800	Selection	42	(i) Degree or equivalent in Civil Engg. from a recognised University/Institution. (ii) Twelve years experience in executive posts in Planning/Construction/Design/Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through Composite method falling which by deputation from other Govt. organisations and falling both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officer holding analogous posts or Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of Civil Engg. Dept. in the scale of pay of Rs. 13000-18200 with 3 years' service in the grade in a Major Port/Trust or Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of Civil Engg. Dept. with 2 years' service in the grade and a combined service of 7 years in the scale of pay of Rs. 10780-14780 and Rs. 13000-18200 in the respective discipline of Civil Engg. Dept. in a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or officers holding post of Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of Civil Engg. Dept. in the scale of pay of Rs. 13000-18200 with 3 years' service in the grade in Govt./PSUs/Autonomous bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below 'very good'.	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (In years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation grades from which it should be made	Remarks
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Superintending Engineer (Civil)	3	Class-I	13000-350-18250	Selection	40	(i) Degree or equivalent in Civil Engg. from a recognised University / Institution. (ii) Nine years experience in executive cadre in Planning / Construction / Design / Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial / Commercial Govt. Undertaking.	(a) No (b) No, however a Diploma in Civil Engg. from a recognised University/Institution is essential. (c) No	2	By Promotion failing which by absorption/deputation failing both by direct recruitment.	Promotion from Executive Engineer (Civil) in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade failing which Executive Engineer in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 2 years service in the grade and a combined service of 9 years in the scales of pay of Rs. 10750-16750 and Rs. 9100-15100 in the respective discipline of Civil Engg. Deptt. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or feeder post with experience as mentioned above in a Major Port Trust.	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption / deputation)	In case of promotion/ absorption/ deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Executive Engineer (Civil)	7	Class-I	10750-300-16750	Selection	35	(i) Degree or equivalent in Civil Engg. from a recognised University / Institution. (ii) Five years experience in executive cadre in Planning / Construction / Design / Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial / Commercial Govt. Undertaking	(a) No (b) No, however a Diploma in Civil Engg. from a recognised University/Institution is essential. (c) No	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Assistant Executive Engineer (Civil) in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years service in the grade failing which Assistant Executive Engineer in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 2 years service in the grade and a combined regular service of 8 years in the scales of pay of Rs. 9100-15100 and Rs. 8600-14600 in the respective discipline of Civil Engg. Deptt. Absorption / deputation will be of officers holding analogous posts or feeder post with experience as mentioned above in a Major Port Trust.	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (In years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	Assistant Executive Engineer (Civil)	9	Class-I	9100-250 15100	Selection	30	Essential:- Degree or equivalent in Civil Engg. from a recognised University / Institution. Desirable :- Two years experience in executive cadre in Planning/ Construction/ Design/ Maintenance Preference of Port and Marine Structures in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.	(a) No (b) No, however a Diploma in Civil Engg. from a recognised University/Institution is essential. (c) No	2	Until 31st Dec., 2008 By direct recruitment - 33.1/3% By Promotion - 66.2/3% After 31st Dec., 2008 By direct recruitment - 66.2/3% By promotion - 33.1/3%	Promotion from Assistant Engineer (Civil) / Asst. Architect & Scientific officer in the scale of Rs. 8800-14000 with 3 years service in the grade.	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruitment will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which benefit is made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	Chief Medical Officer	1	Class-I	20000-500-26500	Selection	50	(I) MBBS degree from a recognised university. (II) A post-graduate medical degree from a recognised university. (III) Post qualification experience of 10 years in a hospital.	(a) No (b) Yes (c) No	N/A.	By absorption through composite method falling which by deputation and falling both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Chief Medical Officer in Category-I post with 2 years regular service in the grade or officers holding posts in the grade or scale of pay of Rs.17500-22000 with 4 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.18000-20800 with 5 years regular service in the grade in the Medical Dept. In a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or officers holding post of Chief Medical Officer and equivalent post in Medical Dept. in the scale of pay of Rs.18000-20800 with 2 years regular service in the grade or officers holding posts of Sr. Dy. Chief Medical Officer and equivalent Specialist Posts in the scale of pay of Rs.18000-20800 and above in Medical Dept. with 5 years regular service in the grade in Govt./Semi-Govt./PSUs or Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "very good".	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational (c) Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which list should be made	Remarks
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	Senior Dy. Chief Medical Officer	2	Class-I	16000-400-20000	Selection	45	i) MBBS degree from a recognised university ii) A post-graduate medical degree in the specified specialty from a recognised university. iii) Post qualification experience of 10 yrs in a Hospital, in the relevant field of specialisation.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through Composite method falling which by deputation from other Govt. Organisations and falling both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or holding the post of Dy. Chief Medical Officer (Specialist) and equivalent Specialist posts in Medical Deptt. in the scale of pay of Rs. 13000-18250 with 3 years service in the grade in a Major Port Trust or Dy. Chief Medical Officer (Specialist) and equivalent Specialist posts in Medical Deptt. with 2 years service in the grade and a combined service of 7 years in the scale of pay of Rs. 16750-18750 and Rs. 13000-18250 in Specialist cadre of Medical Deptt. in a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or holding posts of Dy. Chief Medical Officer (Specialist) and equivalent Specialist posts in the scale of pay of Rs. 13000-18250 in a Medical Deptt. in a Govt./Semi Govt. / PSUs or Autonomous Bodies with 3 years service in the grade will be eligible. The Selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very good".	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (In years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation/grades from which it should be made	Remarks	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	Dy. Chief Medical Officer (General Duty)	1	Class-I	13000-350-18250	Selection	42	Essential:- (i) MBBS degree from a recognised university or for Dy. Chief Medical Officer (Dental), BDS degree of a recognised university. (ii) Nine years experience in a hospital, after completion of Internship of one year. Desirable:- A post graduate medical degree from a recognised university.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion falling which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Sr. Medical Officer (General Duty) in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years service in the grade falling which Sr. Medical Officer (General Duty) with 2 years regular service in the scale of pay of Rs. 10750-16750 and a combined service of 8 years in the scales of pay of Rs. 9100-15100 and 10750-16750. Absorption/Deputation will be of Officers holding analogous posts of higher post with 4 years experience in the grade in a Major Port Trust.		

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classif. cation	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grade from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	Dy. Chief Medical Officer (Specialist)	1	Class-I	13000-350-18250	Selection	42	(i) MBBS degree from a recognised university. (ii) A post-graduate medical degree in the specified specialty from a recognised university. (iii) Post qualification experience of 7 years in a reputed hospital in the relevant field of specialisation.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Sr. Medical Officer (Specialist) in the scale of pay of Rs. 10750-18750 with 4 years service in the grade falling which Sr. Medical Officer (General Duty) with post-graduate qualification in the relevant field and 4 years regular service in the grade. Absorption/Deputation will be of officers holding analogous post or holding the post of Sr. Medical Officers (Specialist) in the scale of pay of Rs. 10750-18750 with 4 years service in the grade in a Major Port Trust.	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption / deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Sr. Medical Officer (General Duty)	2	Class-I	10750-300-16750	Selection	40	Essential:- (i) MBBS degree from a recognised university or for Medical Officer (Dental), BDS degree of a recognised university. (ii) Five years experience in a hospital, after completion of internship of one year. Desirable: A post graduate medical degree in the specialty from a recognised university	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion failing which by absorption / deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Medical Officer in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years service in the grade. Absorption /Deputation will be of Officers holding analogous posts or feeder post with 5 years experience in the grade in a Major Port Trust.	

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption / deputation)	In case of promotion/ absorption/ deputation/grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	Sr. Medical Officer (Specialist)	2	Class-I	10750-300-18750	N.A.	40	Essential:- (i) MBBS degree from a recognised university or for Sr. Medical Officer (Dental), BDS degree of a recognised university. (ii) A post-graduate medical degree in the specified speciality from a recognised university (iii) Post qualification experience of 3 years in a hospital, in the relevant field of specialisation.	Not Applicable	2	By direct recruitment.	Not Applicable	

Sl. No. of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	Medical Officer	Class-I	9100-250 15100	Not Applicable	35	Essential:- (i) MBBS degree from a recognised university or for Medical Officer (Dental), BDS degree of a recognised university. (ii) One year experience in a hospital, after completion of internship of one year. Desirable:- A post graduate medical degree from a recognised university.	Not Applicable	2	By direct recruitment	Not Applicable		

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational (c) Qualifications (d) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	Chief Vigilance Officer	1	Class-I (HOD)	N.A.	Selection	N.A.	Not Applicable	N.A.	N.A.	By deputation of Officers of All India/Central Services.	Officers who are eligible for appointment at the level of Director/ Dy. Secretary in the Govt. of India.	Deputation tenure as per guidelines issued by CVC / DOP&T.
51	Deputy Chief Vigilance Officer	1	Class-I	13000-350-18250	Selection	N.A.	Not Applicable	Not Applicable	2 years	By composite method of promotion/ deputation/transfer	Promotion / Deputation/Transfer-Officers holding analogous posts or officers holding posts in pay scale of Rs. 10750-16750 with 4 years of regular service in the grade falling within officers of a combined regular service of 9 years in the scales of pay of Rs. 10750-16750 and Rs. 9100-15180 in any Major Post-Trust / Central Govt./State Govt./Semi-Govt./Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies. Preference	Deputation will normally be for a period of 3 years, and, in any case, not to exceed five years.

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, graded from which list should be made	Remarks
1		2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
52.	Chief Operations Manager	1	Class-I (HoD)	Rs.2060-500-26900	Selection	45	Essential: Degree in Engineering, Cert. of Competency as MOT First Class, Master Mariner having Certificate of Competency as Master of Foreign Going Ship or Post Graduate in any Discipline, Degree with C.A./ICWAI or a Degree with Post Graduate Diploma in Labour Law/ Personnel Management. Essential: 17 yrs experience in Executive Cadre in Engineering / Marine/ Administration/ Finance in any Major Port Trust/ Govt. or Semi-Govt.Dept./Public Sector or Autonomous Body.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through composite method, failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method. Officers holding anelo-gous posts or Officers with 4 yrs experience in the scale of Rs.17800-400-22300 or Officers with 5 yrs experience in the scale of Rs.16000-400-20800 or 8 yrs experience in the scale of Rs.10750-300-18750 and above in a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding anelo-gous posts or Officers holding posts in the scale of Rs.18500-23900 with 2 yrs service in the grade or officers in the scale of Rs.16000-20800 and above with 5 yrs service in a Major Port Trust/Govt. or Semi Govt.Dept/ Public Sector orAutonomous Body will be eligible. The Selection is by Merit for which the bench mark is overall grading in the AOPs will not be below "Very Good".	

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limits for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	Deputy Conservator	1	Class-I (HOD)	22500-30000-28500	Selection	50	i) Must hold a certificate of competency as master of foreign going ship issued by the Ministry of Shipping, Govt. of India or an equivalent qualification recognised by the Ministry of Shipping, Govt. of India. ii) Must hold Pilot licence and have experience of 10 years either or in Piloting or cumulative.	a) No b) Yes c) No	N.A.	By absorption through composite method, failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	For absorption by composite method, officers holding analogous posts or holding posts of Dy. Conservator in Category-II Ports or Harbour Master in Category-I ports in the scale of pay of Rs. 18500-23800 with 2 years regular service in the grade or officers holding post of Harbour Master in the scale of pay of Rs. 17500-22300 with 4 years regular service in the grade in a Major Port Trust. For deputation officers holding analogous posts or holding post of Dy. Conservator and its equivalent Deck side post in the scale of pay of Rs. 18500-23800 with 2 years regular service in the grade or officers holding posts of Harbour Master and its equivalent Deck side post in the scale of pay of Rs. 17500-22300 with 4 years regular service in the grade in a Govt./Semi Govt./PSUs or Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below 'very good'.	

[F.No.PR-12012/162004-PE-I]

RAKESH SRIVASTAVA, Jr. Secy.

FOOT NOTE - Principal Regulations published vide GSR No. 304 dated 29/02/64 and subsequently vide GSR No. 871 (E) dated 26/10/90.

(B) Kandla Port Trust (Recruitment of Heads of Department) Regulations – 1991.

Foot Note Principal regulations published vide GSR No. 83(E) dated 20/02/91 and subsequently amended vide :-

GSR NO. 628 (E) DATED 14/10/1991

GSR NO. 760 (E) DATED 08/09/1992

GSR NO. 798 (E) DATED 23/10/2001